वार्षिक प्रतिवेदन

2017-2018

.....

संसदीय कार्य मंत्रालय

.....

विषय वस्तु

		पृष्ठ
अध्याय-1	**प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना**	1-4
	(क) प्रस्तावना	1-2
	(ख) संगठनात्मक संरचना	2-3
	(ग) संगठनात्मक चार्ट	4
अध्याय-2	**संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान**	5-7
	(क) सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान	5
	(ख) सत्र	6
	(i) बुलाया जाना	6
	(ii) सत्रावसान	6
	(ग) लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सोलहवीं लोक सभा)	7
अध्याय-3	**राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश**	8-13
	(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	8
	(ख) अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	9
	(ग) अध्यादेश	9-10
	(घ) राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 31.12.2017 तक प्रख्यापित अध्यादेश	11-13
अध्याय-4	**संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण**	14-21
	(क) सरकारी कार्य	14
	(ख) सरकारी कार्य की आयोजना	14-15
	(ग) सरकारी कार्य का प्रबंधन	16
	(घ) निष्पादित सरकारी कार्य का सार	16-17
	(i) विधायी	16
	(ii) वित्तीय	16-17
	(iii) बजट	17
	(ड.) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	17
	(च) सरकारी समय का मुख्य आबंटन	19
	(छ) व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	19
	(ज) अन्य गैर-सरकारी कार्य	19-20
	(झ) बैठकों की संख्या	20-21

अध्याय-5	**गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य**	22-28
	(क) लोक सभा	22-23
	(i) नियम 193 के अंतर्गत चर्चा	22
	(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	23
	(ख) राज्य सभा	23-24
	(i) नियम 176 के अंतर्गत चर्चा	23
	(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	24
	(iii) मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा	24
	(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख	25
	(घ) दिनांक 1.1.2017 से 5.1.2018 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	26
	(ङ) दिनांक 1.1.2017 से 5.1.2018 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	27
	(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2017 के दौरान पारित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	27-28
	(छ) लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प.....	28
अध्याय-6	**आश्वासनों की मानीटरिंग**	29-34
	(क) सामान्य प्रक्रिया	29-30
	(ख) लोक सभा	30-32
	(ग) राज्य सभा	32-33
	(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई	34
	(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन	34
अध्याय-7	**लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख**	35-37
	(क) नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले (लोक सभा).....	35
	(ख) नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख (राज्य सभा)	35-36
	(ग) अनुवर्ती कार्रवाई	36
	(घ) प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई	36-37

अध्याय-8	**परामर्शदात्री समितियां**	38-40
अध्याय-9	**सद्भावना शिष्टमंडलों में संसद सदस्य**	41-58
	(क) सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमंडलों के विदेश दौरे	41-57
	(ख) संसद सदस्यों के विदेश दौरे.....	58
	(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति	58
	(घ) विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/ अनापत्ति	58
अध्याय-10	**युवा संसद योजना**	59-65
	(क) प्रस्तावना	59-60
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता	60
	(i) 52वीं युवा संसद प्रतियोगिता.....	60
	(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....	60-61
	(i) 29वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह.....	60-61
	(ii) अभिविन्यास पाठ्यक्रम.....	61-62
	(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	62-63
	(i) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम.....	63
	(ii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....	63
	(ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता.....	64
	(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	64
	(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण	64-65
	(ज) 'नया भारत - करके रहेंगे' विषय पर प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम.....	65

अध्याय-11	**मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग**	66-71
अध्याय-12	**सामान्य**	72-81
	(क) सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन.....	72
	(ख) हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन.....	72
	(ग) संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....	72-73
	(घ) संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते.....	73
	(ङ) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....	73
	(च) संसद सदस्यों का कल्याण.....	74
	(छ) महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य.....	75
	(ज) संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क.....	75
	(झ) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन.....	76
	(ञ) केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम.....	76
	(ट) अनुसंधान कार्य.....	76-77
	(ठ) बजट की स्थिति.....	78
	(ड) मनाली में कौशल विकास, टीम निर्माण पाठ्यक्रम.....	79-81

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-1	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	82-83
परिशिष्ट-2	दिनांक 1.1.2017 से 5.1.2018 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	84-87
परिशिष्ट-3	16वीं लोक सभा के 13वें सत्र और राज्य सभा के 244वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लम्बित सरकारी विधेयकों की सूची	88-90
परिशिष्ट-4	दिनांक 1.1.2017 से 5.1.2018 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण	91-93
परिशिष्ट-5	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण	94-95
परिशिष्ट-6	दिनांक 1.1.2017 से 5.1.2018 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	96-113
परिशिष्ट-7	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितंबर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश	114-120
परिशिष्ट-8	16वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची	121-122
परिशिष्ट-9	परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय	123-128
परिशिष्ट-10	मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण	129-130
परिशिष्ट-11	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	131-132
परिशिष्ट-12	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	133
परिशिष्ट-13	संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण	134-139
परिशिष्ट-14	पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं	140-141

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया और बृहत जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू रूप से पारित होना सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबंद्ध 35 परामर्शदात्री समितियां हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भारत लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के अन्य देशों के दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत के दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं जिन्होंने प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला :-

1.	श्री अनंतकुमार, कैबिनेट मंत्री	दिनांक 05.07.2016 से आगे
2.	श्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री (राज्य सभा)	दिनांक 09.11.2014 से 03.09.2017 तक (दिनांक 03.09.2017 से राज्य मंत्री का पद छोड़ दिया था)

3.	श्री विजय गोयल, राज्य मंत्री (राज्य सभा)	दिनांक 03.09.2017 से आगे
4.	श्री एस.एस. अहलुवालिया, राज्य मंत्री (लोक सभा)	दिनांक 05.07.2016 से 03.09.2017 तक (दिनांक 03.09.2017 से राज्य मंत्री का पद छोड़ दिया था)
5.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा)	दिनांक 03.09.2017 से आगे

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

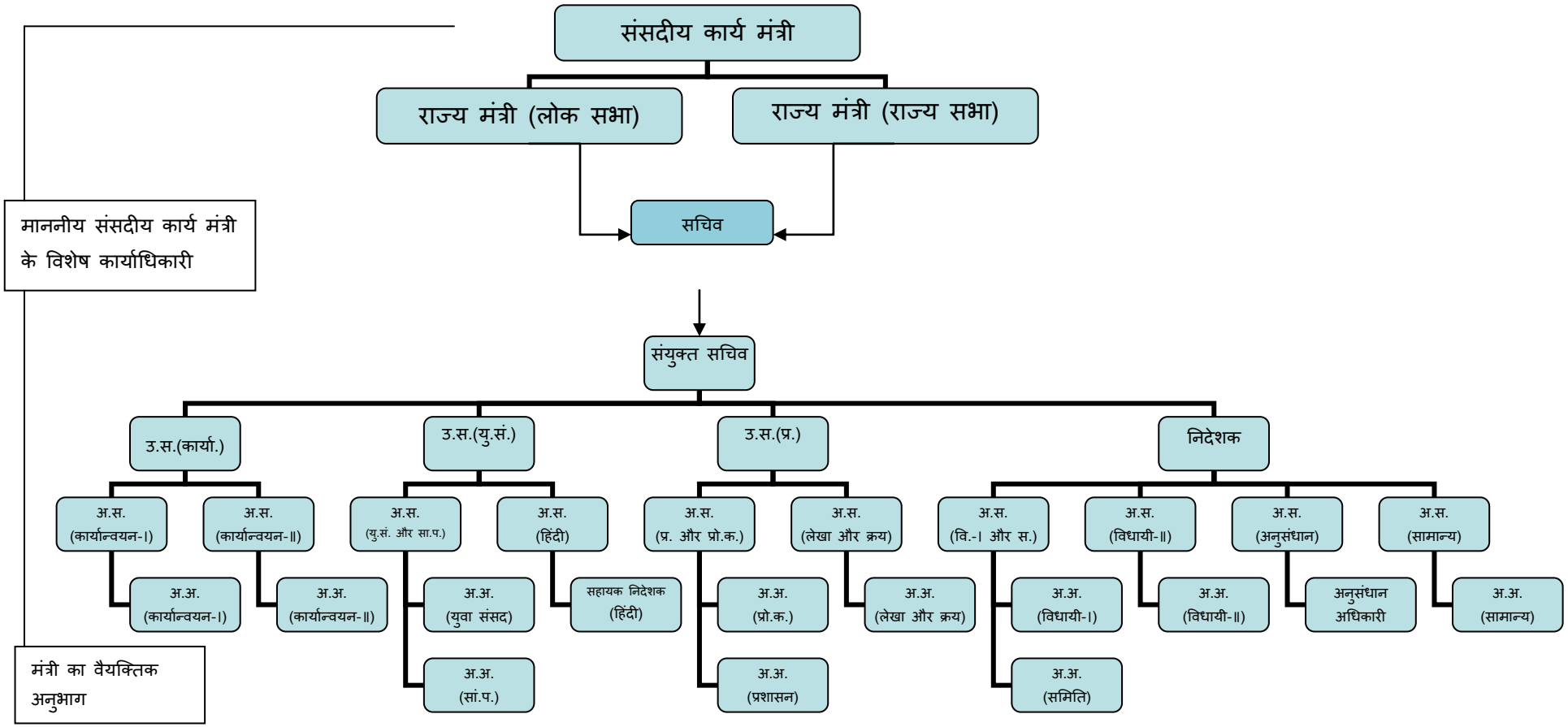

आख्यान

उ.स.	- उप सचिव	यु.सं.	- युवा संसद	वि.	- विधायी	स.	- समिति
अ.स.	- अवर सचिव	प्र.	- प्रशासन	सां.प.	- सांसद परिलब्धियां		
अ.अ.	- अनुभाग अधिकारी	कार्या.	- कार्यान्वयन	प्रो.क.	- प्रोटोकॉल और कल्याण		

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक

दिनांक 1.1.2017 से 31.12.2017 की अवधि के दौरान तीन सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा दोनों की 63-63 बैठकें हुई।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र आरंभ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 1.1.2017 से 31.12.2017 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के तीन सत्र बुलाए गए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सोलहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
11वां	31 जनवरी, 2017 से 12 अप्रैल, 2017	29	72
12वां	17 जुलाई, 2017 से 11 अगस्त, 2017	19	26
13वां	15 दिसंबर, 2017 से 5 जनवरी, 2018	13	22
राज्य सभा			
242वां	31 जनवरी, 2017 से 12 अप्रैल, 2017	29	72
243वां	17 जुलाई, 2017 से 11 अगस्त, 2017	19	26
244वां	15 दिसंबर, 2017 से 5 जनवरी, 2018	13	22

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

सोलहवीं लोक सभा		
सत्र	**तारीख**	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	**सत्रावसान**
11वां	12 अप्रैल, 2017	12 अप्रैल, 2017
12वां	11 अगस्त, 2017	12 अगस्त, 2017
13वां	5 जनवरी, 2018	5 जनवरी, 2018
राज्य सभा		
242वां	12 अप्रैल, 2017	12 अप्रैल, 2017
243वां	11 अगस्त, 2017	12 अगस्त, 2017
244वां	5 जनवरी, 2018	5 जनवरी, 2018

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सोलहवीं लोक सभा)					
लोक सभा	**मतदान की अंतिम तारीख**	**गठन की तारीख**	**पहली बैठक की तारीख**	**कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]**	**भंग होने की तारीख**
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौंवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.2014		

*1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3
राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक कि उन मामलों पर जिनका अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 कलैंडर वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में दिनांक **31 जनवरी, 2017** को राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया गया। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

16वीं लोक सभा का ग्यारहवां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
डॉ. महेश शर्मा (प्रस्तावक) श्री वीरेन्द्र सिंह (अनुमोदक)	3, 6 और 7 फरवरी, 2017 **(स्वीकृत)**
राज्य सभा का 242वां सत्र	
श्री रवि शंकर प्रसाद (प्रस्तावक) डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे (अनुमोदक)	2, 6, 7 और 8 फरवरी, 2017 **(स्वीकृत)**

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: सत्रारम्भ से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इन संकल्पों के दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभाव हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 1.1.2017 से 31.12.2017 की अवधि के दौरान, 7 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। इन अध्यादेशों के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक - एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा

लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। उनके प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विभिन्न विवरणों की सूचना नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुर:स्थापन	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 संख्या 1) (04.05.2017)	17.07.17	17.07.17	24.07.2017 (लोक सभा)	03.08.2017	10.08.2017	2017 का 30 25.08.2017
2	पंजाब नगर निगम विधि (चंड़ीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 2017 (01.07.2017)	17.07.17	17.07.17	31.07.2017 (लोक सभा)	03.08.2017	--	2017 का 31 23.08.2017
3	केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 2017 (2017 संख्या 3) (08.07.2017)	17.07.17	17.07.17	31.07.2017 (लोक सभा)	02.08.2017	--	2017 का 26 23.08.2017
4	एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) अध्यादेश, 2017 (2017 संख्या 4) (08.07.2017)	17.07.17	17.07.17	31.07.2017 (लोक सभा)	02.08.2017	--	2017 का 27 23.08.2017
5	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अध्यादेश, 2017 (2017 संख्या 5) (02.09.2017)	15.12.17	15.12.17	22.12.2017 (लोक सभा)	27.12.2017	--	--
6	भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 संख्या 6) (23.11.2017)	15.12.17	15.12.17	18.12.2017	20.12.2017	27.12.2017	2018 का 5 05.01.2018
7	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 संख्या 7) (23.11.2017)	15.12.17	15.12.17	28.12.2017 (लोक सभा)	29.12.2017 *04.01.2018	02.01.2018	--

* लोक सभा द्वारा संशोधनों को मान लिया गया।

3.8 राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 31.12.2017 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10	2017	07

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979: कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)

दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक: भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 17 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)
सोलहवीं लोक सभा	18 मई, 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी, 26 मई, 2014 से आगे)

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

एक झलक

- वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट (रेल सहित) 01 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 44 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। ऐसी बैठकें 23 जनवरी, 2017 को बजट सत्र, 2017 से पहले, 10 जुलाई, 2017 को मानसून सत्र, 2017 से पहले और 28 नवंबर, 2017 को शीतकालीन सत्र, 2017

से पहले आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो पूरी तरह तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी तीन बैठकें - पहली बैठक 24 जनवरी, 2017 को बजट सत्र, 2017 से पहले, दूसरी बैठक 11 जुलाई, 2017 को मानसून सत्र, 2017 से पहले और तीसरी बैठक 29 नवंबर, 2017 को शीतकालीन सत्र, 2017 से पहले आयोजित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए दिनांक 30.01.2017, 16.07.2017 और 14.12.2017 को विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ बैठकें बुलाई। सरकारी कार्य का सही आकलन करने के पश्चात, प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्य का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 की समयावधि के दौरान, सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूची तैयार की गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकें और उन पर चर्चा के लिए भाग लेने की तैयारी कर सकें।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 10 वक्तव्य और राज्य सभा में 11 वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी सामंजस्य किया जा सके। वस्तुत: ऐसे सामंजस्य दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा दोनों के लिए सरकारी कार्य की 74 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 181 मदों (लोक सभा - 66, राज्य सभा - 115) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। शासकीय दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उसे सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 सोलहवीं लोक सभा के 10वें सत्र तथा राज्य सभा के 141वें सत्र की समाप्ति पर कुल 60 विधेयक (लोक सभा में 20 विधेयक और राज्य सभा में 40 विधयेक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 58 विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए, इस प्रकार कुल लंबित विधेयक 118 हो गए। इनमें से दोनों सदनों द्वारा 44 विधेयक पारित किए गए (**परिशिष्ट-2**)। 7 विधेयक (लोक सभा में 2 और राज्य सभा में 5) वापस लिए गए। सोलहवीं लोक सभा के 13वें सत्र और राज्य सभा के 244वें सत्र की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 67 विधेयक (लोक सभा में 28 विधेयक और राज्य सभा में 39 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। केन्द्र सरकार का बजट दो भागों में प्रस्तुत किया जाता था - रेल और सामान्य। परंतु इस सरकार ने केवल एक केंद्रीय बजट (रेल सहित) प्रस्तुत करने और उसे अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 31 मार्च से पहले पूरा करने का निर्णय लिया। बजट 1 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत किया गया। इससे पहले आमतौर पर यह फरवरी माह में अंतिम कार्यदिवस को प्रस्तुत किया जाता था। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्री के भाषण की समाप्ति पर सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें निर्देशित विधेयकों, मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और सदनों को प्रस्तुत दीर्घकालीन मूल नीति संबंधी दस्तावेजों तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कागजातों की जांच करना शामिल है।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 1.1.2017 से 31.12.2017 की अवधि के दौरान, केंद्रीय बजट (रेल सहित) पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-4**)।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवत: ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

स्वीकृत किए गए सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प

4.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए सरकारी सांविधिक संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है, जिस पर विचार किया गया और जिसे स्वीकृत किया गया:-

विषय	तारीख (तारीखें)	लोक सभा		तारीख (तारीखें)	राज्य सभा	
		लिया गया समय			लिया गया समय	
		घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में कुछ वस्तुओं पर मूल सीमाशुल्क को बढ़ाने का अनुमोदन चाहने वाला सांविधिक संकल्प।	8.8.2017	-	10	9.8.2017	-	-
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची की टैरिफ मद 12011000 और 12019000 के तहत आने वाले सोयाबीन पर मूल सीमाशुल्क को बढ़ाने का अनुमोदन चाहने वाला सांविधिक संकल्प।	28.12.2017	-	-	28.12.2017	-	10
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में कुछ वस्तुओं पर मूल सीमाशुल्क को बढ़ाने का अनुमोदन चाहने वाला सांविधिक संकल्प।	2.1.2018	-	-	2.1.2018	-	02
रेल अभिसमय समिति (2014) की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर विचार।	21.12.2017	-	-	2.1.2018	00	1

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
(i)	विधायी	118	59	61	55	37.60%	23.92%
(ii)	वित्तीय	54	27	19	55	17.21%	7.69%
(iii)	गैर-वित्तीय	142	57	176	59	45.18%	68.38%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा					
सत्र	बैठक का कुल वास्तविक समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
11वां (16वीं लोक सभा)	178	44	8	7	4.34%
12वां (16वीं लोक सभा)	75	39	31	17	29.25%
13वां (16वीं लोक सभा)	62	00	13	45	18.15%
कुल	316	23	53	9	14.38%
राज्य सभा					
242वां	136	20	18	09	11.74%
243वां	81	30	28	09	25.67%
244वां	40	59	35	05	46.12%
कुल	258	49	81	23	23.92%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में एक और राज्य सभा में 3 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। लोक सभा में 4 और राज्य सभा में 7 अल्पावधि चर्चाएं हुई। लेकिन लोक सभा में

सतत विकास लक्ष्य - सभी के स्वास्थ्य और कुशलता के लिए भावी मार्गोपाय पर अल्पावधि चर्चा दिनांक 05.04.2017 को अधूरी रही।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या (वर्ष 1952 से 2017 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36

2012	73	73	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36
2016	54	56	43	2017	61	61	44

अध्याय-5
गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 दिनांक 1.1.2017 से 05.01.2018 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	सतत विकास लक्ष्य - सभी के स्वास्थ्य और कुशलता के लिए भावी मार्गोपाय (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)		30.3.2017 5.4.2017 (पूरी नहीं हुई)	03	46
2	देश में कृषि की स्थिति (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियां)	कृषि और किसान कल्याण	19.7.2017	05	40
3	देश में भीड़ की हिंसा में अत्याचार और मारपीट की सूचित घटनाओं से उत्पन्न स्थिति। (श्री मल्लिकार्जुन खड़गे)	गृह	31.7.2017	05	23
4	दक्षिण भारत में ओखी चक्रवात के विशिष्ट संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाएं। (श्री पी. सुंदरम, संसद सदस्य की तरफ से श्री के.सी. वेणुगोपाल, संसद सदस्य)	गृह	22.12.2017	03	19

ध्यानाकर्षण प्रस्तावः-

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	श्री गौरव गोगोई ने देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण समस्याएं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।	गृह	10.8.2017	00	48

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	चुनाव सुधारों पर चर्चा (श्री मुकुल रॉय)	विधि और न्याय	22.3.2017 23.3.2017	06	23
2.	आधार - इसका कार्यान्वयन और निहितार्थ (श्री राजीव चंद्रशेखर)	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	10.4.2017	02	32
3.	देशभर में अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार और भीड़ द्वारा पीटे जाने की घटनाओं में सूचित वृद्धि से उत्पन्न स्थिति (श्री गुलाम नबी आजाद)	गृह	19.7.2017 20.7.2017	05	44
4.	देश में किसानों की दुर्गति के कारण उनके द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि (श्री दिग्विजय सिंह)	कृषि और किसान कल्याण	25.7.2017 26.7.2017	05	09
5.	भारत की विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारों के साथ अनुबंध (श्री आनंद शर्मा)	विदेश	3.8.2017	04	12
6.	दिल्ली में वायु प्रदूषण का अत्यधिक उच्च स्तर (श्री नरेश अग्रवाल)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	28.12.2017	02	16
7	देश में अर्थव्यवस्था की दशा, निवेश का वातावरण और रोजगार सृजन और बढ़ती बेरोजगारी की चुनौती से निपटने की आवश्यकता। (श्री आनंद शर्मा)	वित्त	4.1.2018	02	31

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:-

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	डॉ. के.वी.पी. रामचन्द्र राव ने विशेष वर्ग स्थिति की संकल्पना को जारी रखने की जरूरत पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाने की आवश्यकता की ओर योजना मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।	नीति आयोग	11.4.2017	01	08
2	श्री रीपुन बोरा ने देश के विभिन्न भागों, विशेषकर असम, में हाल की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।	गृह	27.7.2017	01	57
3	श्री के.के. रागेश ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में विदेशी ट्रॉलरों द्वारा अनुज्ञा पत्र की विहित शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की ओर कृषि और किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।	कृषि और किसान कल्याण	1.8.2017	01	04

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट
1	रेल	23.3.2017 29.3.2017 30.3.2017	05	08

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचार करने और पारित करने हेतु सूची में शामिल किए गए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 03.01.2017, 12.04.2017, 23.06.2017, 11.08.2017, 24.11.2017 और 05.01.2018 को छह बैठकें आयोजित की।

क्र.सं.	**संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की तारीख**	**प्रस्ताव जिन पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया**
1.	03.01.2017	बजट सत्र, 2017 का बुलाया जाना
2.	12.04.2017	(i) संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का अनुसमर्थन।
3.	23.06.2017	मानसून सत्र, 2017 का बुलाया जाना
4.	11.08.2017	(i) संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का अनुसमर्थन।
5.	24.11.2017	शीतकालीन सत्र, 2017 का बुलाया जाना
6.	05.01.2018	(i) शीतकालीन सत्र का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का अनुसमर्थन। (iii) बजट सत्र का बुलाया जाना।

5.5 दिनांक 1.1.2017 से 5.1.2018 की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के तीन सौ उनचास विधेयक (284 विधेयक लोक सभा में और 65 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 1.1.2017 से 5.1.2018 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री विंसेंट एच. पाला)	05.08.2016 10.03.2017 24.03.2017 07.04.2017 21.07.2017 29.12.2017	चर्चा पूरी नहीं हुई।
राज्य सभा			
1.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (श्री तिरूची शिवा)	05.08.2016 03.02.2017	वापस लिया गया
2.	आतंकवाद प्रायोजक देश की घोषणा विधेयक, 2016 (श्री राजीव चंद्रशेखर)	03.02.2017 10.03.2017	वापस लिया गया
3.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2016 (डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी)	24.03.2017	वापस लिया गया
4.	लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2016 (डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी)	24.03.2017 07.04.2017	वापस लिया गया
5.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) (श्री बी.के. हरिप्रसाद)	07.04.2017 21.07.2017	वापस लिया गया
6.	केंद्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2016 (श्री प्रदीप टम्टा)	04.08.2017	वापस लिया गया
7.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन) (श्री विशंभर प्रसाद निषाद)	29.12.2017	अस्वीकृत किया गया

दिनांक 1.1.2017 से 5.1.2018 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	श्री एन.के. रामचन्द्रन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई।	11.02.2015 06.05.2016 29.07.2016 23.03.2017 31.03.2017 28.07.2017	वापस लिया गया
2.	श्री गोपाल चिन्नैया शेट्टी द्वारा विविध रक्षा स्थापनाओं के आस-पास स्थित भवनों का पुनरूद्धार।	28.07.2017 22.12.2017	वापस लिया गया
3.	श्री राघव लखनपाल द्वारा कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति का कार्यान्वयन	22.12.2017	चर्चा पूरी नहीं हुई
राज्य सभा			
1.	श्री तिरूची शिवा द्वारा कृषि प्रयोजनों हेतु स्वदेशी मवेशियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार एवं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कदम।	17.03.2017	वापस लिया गया
2.	श्री विशंभर प्रसाद निषाद द्वारा किसानों की दशा में सुधार करने, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कल्याणकारी उपाय करना।	17.03.2017 31.03.2017	चर्चा पूरी नहीं हुई

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2017 के दौरान पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956

5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
	(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक	
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	श्री प्रह्लाद सिंह द्वारा पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए।	10.4.2003
2.	श्री निशिकांत दुबे द्वारा कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम।	11.12.2015

अध्याय – 6

अश्वासनों की मानीटरिंग

एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रियों द्वारा लोक सभा में 757 आश्वासन और राज्य सभा में 476 आश्वासन दिए गए।
- लोक सभा में दिए गए 1220 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 654 आश्वासन, जोकि प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षों से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए है।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 11 आश्वासन और राज्य सभा में 48 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी आश्वासन दे देते हैं कि इन मामलों पर उचित कार्रवाई की जाएगी अथवा अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होता है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भी भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में रखी जाती है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दे दी जाती हैं।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 757 आश्वासन दिए गए थे जिनमें से 155 सभा-पटल पर रखे गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं छोड़ा गया और शेष 602 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 1232 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (11 आंशिक सहित), को सभा पटल पर रखा गया। इसी प्रकार राज्य सभा में दिये गये 476 आश्वासनों में से 227 सभा-पटल पर रखे गए, एक को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ दिया गया तथा शेष 248 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 702 आश्वासनों के कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (48 आंशिक सहित), को सभा-पटल पर रखा गया। वर्ष 1956 से 2017 के दौरान दिये गए/पूरे किए गए/छोड़े गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष रहे आश्वासनों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	1543	1543	-	1543	-	100
1957	893	893	-	893	-	100
1958	1324	1324	-	1324	-	100
1959	1138	1138	-	1138	-	100
1960	1000	1000	-	1000	-	100
1961	1244	1244	-	1244	-	100
1962	1333	1333	-	1333	-	100
1963	781	781	-	781	-	100
1964	883	883	-	883	-	100
1965	1073	1073	-	1073	-	100
1966	1542	1542	-	1542	-	100
1967	2116	2116	-	2116	-	100
1968	4174	4174	-	4174	-	100
1969	4260	4260	-	4260	-	100
1970	3331	3331	-	3331	-	100
1971	1824	1824	-	1824	-	100
1972	1577	1577	-	1577	-	100

1973	1757	1757	-	1757	-	100
1974	1789	1789	-	1789	-	100
1975	925	925	-	925	-	100
1976	521	521	-	521	-	100
1977	889	889	-	889	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	1069	1069	-	1069	-	100
1980	1105	1105	-	1105	-	100
1981	1587	1587	-	1587	-	100
1982	1541	1541	-	1541	-	100
1983	1726	1726	-	1726	-	100
1984	1284	1284	-	1284	-	100
1985	783	783	-	783	-	100
1986	1098	1098	-	1098	-	100
1987	2616	2616	-	2616	-	100
1988	1171	1171	-	1171	-	100
1989	1867	1867	-	1867	-	100
1990	2396	2396	-	2396	-	100
1991	1674	1674	-	1674	-	100
1992	2195	2195	-	2195	-	100
1993	1759	1759	-	1759	-	100
1994	2524	2524	-	2524	-	100
1995	1465	1465	-	1465	-	100
1996	700	700	-	700	-	100
1997	2093	2093	-	2093	-	100
1998	1127	1127	-	1127	-	100
1999	748	747	-	747	1	99.87
2000	1721	1718	-	1718	3	99.83
2001	1528	1526	-	1526	2	99.87
2002	1505	1501	-	1501	4	99.73
2003	1407	1402	-	1402	5	99.64
2004	905	895	-	895	10	98.9
2005	1733	1720	-	1720	13	99.25
2006	1073	1057	-	1057	16	98.51
2007	1282	1268	-	1268	14	98.91
2008	1111	1092	-	1092	19	98.29
2009	1313	1276	-	1276	37	97.18
2010	1597	1516	-	1516	81	94.93

2011	1885	1758	-	1758	127	93.26
2012	1944	1804	-	1804	140	92.8
2013	1356	1222	-	1222	134	90.12
2014	1459	1162	-	1162	297	79.64
2015	1328	940	-	940	388	70.78
2016	1291	682	-	682	609	52.83
2017	757	155	-	155	602	20.48
	95295	**92793**	**-**	**92793**	**2502**	**97.37**

राज्य सभा

वर्ष	**कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन**	**आश्वासनों की संख्या**		**कुल**	**शेष**	**कार्यान्वयन का प्रतिशत**
		कार्यान्वित	**विलोप**			
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5(3+4)**	**6(2-5)**	**7.**
1956	373	373	-	373	-	100
1957	238	238	-	238	-	100
1958	287	287	-	287	-	100
1959	235	235	-	235	-	100
1960	233	233	-	233	-	100
1961	257	257	-	257	-	100
1962	479	479	-	479	-	100
1963	218	218	-	218	-	100
1964	349	349	-	349	-	100
1965	1342	1342	-	1342	-	100
1966	436	436	-	436	-	100
1967	495	495	-	495	-	100
1968	827	827	-	827	-	100
1969	1104	1104	-	1104	-	100
1970	591	591	-	591	-	100
1971	447	447	-	447	-	100
1972	832	832	-	832	-	100
1973	1009	1009	-	1009	-	100
1974	724	724	-	724	-	100
1975	384	384	-	384	-	100
1976	781	781	-	781	-	100
1977	1117	1117	-	1117	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	748	748	-	748	-	100
1980	1391	1391	-	1391	-	100

1981	1688	1688	-	1688	-	100
1982	1466	1466	-	1466	-	100
1983	1472	1472	-	1472	-	100
1984	1082	1082	-	1082	-	100
1985	1315	1315	-	1315	-	100
1986	1295	1295	-	1295	-	100
1987	1810	1810	-	1810	-	100
1988	1705	1705	-	1705	-	100
1989	1420	1420	-	1420	-	100
1990	1642	1642	-	1642	-	100
1991	1678	1678	-	1678	-	100
1992	2052	2052	-	2052	-	100
1993	1544	1544	-	1544	-	100
1994	1261	1261	-	1261	-	100
1995	740	740	-	740	-	100
1996	672	672	-	672	-	100
1997	906	906	-	906	-	100
1998	232	232	-	232	-	100
1999	261	259	1	260	1	99.62
2000	706	704	-	704	2	99.72
2001	382	382	-	382	-	100
2002	677	675	-	675	2	99.7
2003	843	837	-	837	6	99.29
2004	545	540	-	540	5	99.08
2005	1156	1143	1	1144	12	98.96
2006	858	848	-	848	10	98.83
2007	973	962	1	963	10	98.97
2008	678	666	2	668	10	98.53
2009	995	975	3	978	17	98.29
2010	1082	1027	4	1031	51	95.29
2011	1003	960	5	965	38	96.21
2012	1115	1033	7	1040	75	93.27
2013	686	622	6	628	58	91.55
2014	1189	1032	5	1037	152	87.22
2015	907	711	5	716	191	78.94
2016	983	679	2	681	302	69.28
2017	476	227	1	228	248	47.9
	56047	**54814**	**43**	**54857**	**1190**	**97.88**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए सभी आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को याद दिलाते हुए आश्वासनों की आवधिक समीक्षा की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, आश्वासनों की विचारधीनता की समीक्षा करने और उनका शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सचिव और संयुक्त सचिव द्वारा 10 अक्तूबर, 2017 से 13 अक्तूबर, 2017 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकों की एक श्रंखला आयोजित की। इस मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान के परिणाम के रूप में, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने अपना 48वां, 49वां, 50वां, 51वां, 52वां, 53वां, 54वां, 55वां, 56वां, 57वां और 58वां प्रतिवेदन दिनांक 11.04.2017 को, 59वां, 60वां, 61वां और 62वां प्रतिवेदन दिनांक 01.08.2017 को तथा 63वां, 64वां, 65वां और 66वां प्रतिवेदन दिनांक 10.08.2017 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 71वां प्रतिवेदन दिनांक 29.12.2017 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 1248 मामले और राज्य सभा में 377 विशेष उल्लेख उत्तर के लिए लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2017 से 05.01.2018 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 985 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 201 विशेष उल्लेख किए/सभा पटल पर रखे गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 2233 मामलों में से 1085 मामलों के उत्तर दिए जा चुके है और 1148 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 578 विशेष उल्लेखों में से 274 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 304 विशेष उल्लेख लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों के लिए इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रतिदिन अधिकतम 20 मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।

नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यत: सात से अधिक नहीं होनी

चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यत: जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दो सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित सदस्य को वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 वर्ष 2016 की समाप्ति पर लोक सभा में 1248 मामले तथा राज्य सभा में 377 विशेष उल्लेख लंबित थे। दिनांक 01.01.2017 से 05.01.2018 की अवधि के दौरान लोक सभा में 985 मामले और राज्य सभा में 201 मामले उठाए गए, जिससे कि लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों की कुल संख्या 2233 तथा राज्य सभा में किए गए विशेष उल्लेखों की कुल संख्या 578 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 05.01.2018 तक लोक सभा में 1085 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 1148 मामले लंबित रह गए हैं। जहां तक राज्य सभा में अनुरूप स्थिति का संबंध है, दिनांक 05.01.2018 तक 274 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 304 मामले अभी भी लंबित हैं।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित शून्य काल के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी-कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान

दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते/ टिप्पणियां करते हैं। तत्पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानत: उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.9.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

7.6 दिनांक 01.01.2017 से 05.01.2018 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 1288 मामले (लोक सभा: 949 और राज्य सभा: 339) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। इनमें से 60 मामले (लोक सभा: 11, राज्य सभा: 49) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

<u>एक झलक</u>

- **विभिन्न मंत्रालयों के लिए 35 परामर्शदात्री समितियाँ कार्य कर रही हैं।**
- **दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 89 बैठकें आयोजित हुई।**

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप-रेखा में उद्‌गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए थे तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी, और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं **(परिशिष्ट-7)**।

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) सदस्यों को एक परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है, यदि उसे किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य होगी।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और किसी भी अपेक्षित स्पष्टीकरण को देने हेतु बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 सामान्यत: लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। सोलहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 35 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-8)**।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय (**परिशिष्ट-9)** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति का नाम**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1.	रेल मंत्रालय	20.01.2017 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
2.	नागर विमानन मंत्रालय	23.01.2017 को तिरूपति, आंध्र प्रदेश
3.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	21.04.2017 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
4.	वस्त्र मंत्रालय	28.04.2017 को कोयंबटूर, तमिल नाडु
5.	इस्पात मंत्रालय	10.06.2017 को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश
6.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	03.07.2017 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
7.	पर्यटन मंत्रालय	10.07.2017 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल
8.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	14.09.2017 को गोवा
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	14.10.2017 को गोवा
10.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	27.10.2017 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश
11.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और खान मंत्रालय	30.10.2017-31.12.2017 को बैंगलूरू, कर्नाटक
12.	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	31.10.2017 को गुवाहाटी, असम

अध्याय-9

सद्भावना शिष्टमण्डलों में संसद सदस्य

एक झलक

- संसदविदों के एक भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने स्वीडन, नार्वे और इज़राइल का दौरा किया।
- संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश भेजे गए विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों के लिए 17 संसद सदस्यों को नामांकित किया।

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए नि:संदेह यह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

9.2 विदेश मंत्रालय तथा संबंधित भारतीय मिशनों के परामर्श से और प्रधानमंत्री के अनुमोदन से 29 मई, 2017 से 6 जून, 2017 के दौरान स्वीडन, नार्वे और इज़राइल में संसदविदों का एक सद्भावना शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया गया था। शिष्टमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:-

1.	**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया**, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	**शिष्टमंडल के नेता**
2.	डॉ. हिना विजय कुमार गावीत, संसद सदस्य (लोक सभा)	भा.ज.पा.
3.	श्री राम कुमार वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	भा.ज.पा.

4.	श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य (लोक सभा)	भा.रा.कां.
5.	श्री चंद्रकांत भाऊराव खैरे, संसद सदस्य (लोक सभा)	शिवसेना
6.	श्री पलानीवेल कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा)	ए.आई.ए.डी.एम.के.
7.	श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी, संसद सदस्य (लोक सभा)	ते.रा.स.
8.	श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा)	बी.ज.द.
9.	श्री मोहम्मद फैजल पी.पी., संसद सदस्य (लोक सभा)	रा.कां.पा.
10.	श्री सी.एम. रमेश, संसद सदस्य (राज्य सभा)	ते.दे.पा.
11.	श्री येरम वेंकट सुब्बारेड्डी, संसद सदस्य (लोक सभा)	वाई.एस.आर.कांग्रेस पार्टी

9.3 संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए थे:-

1. श्री राजीव यादव, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
2. श्री शिवानंद, संसदीय कार्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री के विशेष कार्याधिकारी
3. श्री मुकेश कुमार, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
4. श्री सिद्धार्थ शंकर पात्र, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
5. श्री राजेश कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी (प्रोटोकॉल और कल्याण), संसदीय कार्य मंत्रालय

9.4 श्री एस.एस. अहलुवालिया, माननीय राज्य मंत्री के नेतृत्व में संसदीय सद्भावना शिष्टमंडल ने 29 मई, 2017 को स्वीडन के समन्वय और ऊर्जा मंत्री, श्री इब्राहिम बेलान से प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात की।

[श्री एस.एस. अहलुवालिया, माननीय राज्य मंत्री स्वीडन के समन्वय और ऊर्जा मंत्री श्री इब्राहिम बेलान से मुलाकात करते हुए]

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने स्वीडन के पक्ष का भारतीय संसदविदों से परिचय कराया। नवीकणीय ऊर्जा और कचरे से ऊर्जा के बारे में भारत और स्वीडन के बीच सहयोग को मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। संसद सदस्यों ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार की परियोजनाओं के संबंध में प्रश्न पूछे। इस बात पर आम सहमति बनी कि ऊर्जा क्षेत्रों, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा और कचरे से ऊर्जा के क्षेत्र में, दोनों देशों की जनता के परस्पर लाभार्थ दोनों देशों के बीच आगे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

9.5 भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने भारत-स्वीडन व्यापार परिषद और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम की शुरूआत श्री संजू मल्होत्रा, इंडिया अनलिमिटेड के मुख्य कार्यकारी निदेशक द्वारा स्वीडन के परिचय पर एक पावर-प्वाइंट पारस्परिक संवाद प्रस्तुति के साथ हुई। श्री हाकन किंग्सटेड्ट, स्वीडन-भारत व्यापार परिषद द्वारा स्वीडन-भारत आर्थिक संबंधों पर एक पावर-प्वाइंट प्रस्तुति दी गई जिसमें स्वीडन सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों, स्वीडन के सांसदों, भारत और स्वीडन व्यापार के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। माननीय मंत्री ने सुश्री एन लिंडे, स्वीडन-यूरोपीयन मामले और व्यापार मंत्री से भी बातचीत की जो इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थी।

9.6 शिष्टमंडल को स्वीडन की संसद के कार्य और उसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों के बारे में संसद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के उप प्रमुख द्वारा संक्षिप्त जानकारी दी गई। बातचीत के दौरान, सदस्यों ने स्वीडन के संसद में अपनाई जाने वाली विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं पर जानकारी मांगी और उन प्रक्रियाओं की जानकारी दी जो भारतीय संसद में अपनाई जा रही हैं। इसके बाद संसद भवन परिसर का भ्रमण किया गया

[स्वीडन की संसद के कार्यचालन और उसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों के बारे में संसद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के उप प्रमुख द्वारा भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल को संक्षिप्त जानकारी दी जाते हुए]

9.7 संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने स्वीडन की संसद की विदेशी मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष, श्री केनेथ जी फोर्सलुंद से मुलाकात की। वैश्विक चिंताओं के अन्य मुद्दों के अतिरिक्त द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के सभी पहलूओं पर चर्चा की गई। शिष्टमंडल के नेता ने वैश्विक स्तर पर, विशेषकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से उत्पन्न खतरे पर जोर दिया और संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सम्मेलन के लिए स्वीडन के सहयोग की मांग की। श्री भर्तृहरी महताब, संसद सदस्य (लोक सभा) ने ब्रेक्सिट (BREXIT) पर विचार जानने चाहे और पूछा कि स्वीडन किस प्रकार इससे निपटने की योजना बना रहा है। अध्यक्ष, श्री केनेथ जी फोर्सलुंद ने बताया कि स्वीडन की यूरोपीय संघ और ब्रिटेन दोनों के साथ व्यापारिक संधियां हैं और इससे स्वीडन प्रभावित नहीं होगा।

[संसदविदों का भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल स्वीडन की संसद की विदेशी मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष, श्री केनेथ जी फोर्सलुंद से मुलाकात करते हुए]

9.8 संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने रिक्सडैग में भारत-स्वीडन संसदीय संघ की अध्यक्ष, सुश्री आसा कोएनराड्स से मुलाकात की, जिसमें कुछ अन्य सांसद भी शामिल हुए। शिष्टमंडल के सदस्यों ने पारस्परिक हित जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया कि दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि कैसे की जा सकती है।

9.9 संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने श्री अर्बन अहिलिन, रिक्सडैग (स्वीडन की संसद) के माननीय अध्यक्ष से मुलाकात की थी। शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए श्री अहिलिन ने कहा कि वे भारत की यात्रा के लिए उत्सुक हैं। शिष्टमंडल के नेता ने भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की लगातार सुदृढ़ता पर संतोष व्यक्त किया और दोनों लोकतंत्रों के बीच संसदीय

संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। दोनों पक्षों के सदस्यों ने अपने-अपने देशों में अपनाई जा रही विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

[संसदविदों का भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल रिक्सडैग (स्वीडन की संसद) के माननीय अध्यक्ष, श्री अर्बन अहिलिन, से मुलाकात करते हुए]

9.10 संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने स्वीडन की विदेश मंत्री, सुश्री मार्गोट वॉलस्ट्रॉम से मुलाकात की। बैठक के दौरान, शिष्टमंडल के नेता ने विश्व स्तर पर और विशेष रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से उत्पन्न खतरे पर चर्चा की और इसके राष्ट्र द्वारा प्रायोजन एवं वित्त पोषण सहित, इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकजुट होने की आवश्यकता महसूस की और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक सम्मेलन के लिए स्वीडन के समर्थन की पुन: मांग की।

[संसदविदों का भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल स्वीडन की विदेश मंत्री, सुश्री मार्गोट वॉलस्ट्रॉम से मुलाकात करते हुए]

9.11 शिष्टमंडल ने दोपहर बाद स्टॉकहोम रॉयल बंदरगाह स्थल का दौरा किया। स्टॉकहोम रॉयल बंदरगाह वहनीय शहरी विकास का प्रतिमान बनने के लिए वर्तमान स्थिति में जो संभव है उसका निर्धारण करने और जहां संभव हो अपनी सीमाएं बढ़ाने के आदेश के साथ एक पर्यावरणीय आकर्षण वाला एक निर्दिष्ट क्षेत्र है। वहां एक-दूसरे की ताकत और ज्ञान में इजाफ़ा करने और उससे लाभ उठाने के लिए सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर पारस्परिक संवाद पावर-प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। शिष्टमंडल के सदस्यों ने ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए अपनाई जा रही विधि की सराहना की। उन्होंने स्टॉकहोम रॉयल बंदरगाह द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न वहनीय विधियों पर भी बातचीत की, जिन्हें भारत में विकसित किए जा रहे स्मार्ट शहरों में एकीकृत किया जा सकता है।

[संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का स्टॉकहोम रॉयल बंदरगाह स्थल का दौरा]

9.12 संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने 31 मई से 2 जून, 2017 तक नॉर्वे का दौरा किया। नॉर्वे के दौरे पर, सांसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडल ने विदेश नीति और रक्षा संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्ष, सुश्री एनीकेन हुइटफेल्ड से मुलाकात की, जिन्होंने शिष्टमंडल का स्वागत किया। परस्पर प्रसन्नता और परिचय के बाद, शिष्टमंडल के नेता ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है, जो मानवाधिकारों के उपभोग को बाधित करता है, और लोकतांत्रिक समाजों के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है और उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है और उन देशों के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं की जा सकती जो आतंकवादियों को शरण, हथियार, प्रशिक्षण और धन प्रदान करते हैं।

[संसदविदों का भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल विदेश नीति और रक्षा संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्ष, सुश्री एनीकेन हुइटफेल्ड से मुलाकात करते हुए]

9.13 संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने श्री गुन्नार गुंडेरसन, व्यापार और उद्योग संबंधी स्थायी समिति के उपाध्यक्ष से मुलाकात की, जिन्होंने शिष्टमंडल का स्वागत किया। शिष्टमंडल के नेता ने कहा कि भारत और नॉर्वे दोनों को समुद्री सहयोग, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, मत्स्य पालन, कृषि, बागवानी और जैविक खेती पर प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलकृषि प्रणाली के पुन:चक्रण (आरएएस) की शुरूआत भारत के लिए काफी नई है, जबकि नॉर्वे की कंपनियों को इस उच्च-प्रौद्योगिकीय उत्पादन तकनीक में विशेषज्ञता हासिल है, जिसके लिए भारत भविष्य की ओर बढ़ रहा है।

[श्री गुन्नार गुंडेरसन, व्यापार और उद्योग संबंधी स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के साथ शिष्टमंडल की बैठक]

9.14 सद्भावना शिष्टमंडल ने सुश्री मैरिट बर्गर रॉसलैंड, विदेश मामलों की राज्य सचिव से मुलाकात की। परिचय के बाद, शिष्टमंडल के नेता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों ने कई पहलों में एक-दूसरे का समर्थन किया है और उन्होंने इस सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र में कई मुद्दों पर अपने परस्पर संवाद को और आगे बढ़ाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की संशोधित सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के साथ ही साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की उम्मीदवारी हेतु नार्वे सरकार के बहुमूल्य समर्थन के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त की।

[सुश्री मैरिट बर्गर रॉसलैंड, विदेश मामलों की राज्य सचिव के साथ शिष्टमंडल की बैठक]

9.15 शुक्रवार, 2 जून, 2017 को, सद्भावना शिष्टमंडल ने सुश्री मोनिका माईलैंड, व्यापार और उद्योग मंत्री से मुलाकात की, जिन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया और बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार हेतु पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। शिष्टमंडल के नेता ने कहा कि भारत और नॉर्वे दोनों को समुद्री सहयोग, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, मत्स्य पालन, कृषि, बागवानी और जैविक खेती पर प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए।

[सुश्री मोनिका माईलैंड, व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ शिष्टमंडल की बैठक]

9.16 संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने नॉर्वेजियाई इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-इकॉनोमी रिसर्च (एन.आई.बी.आई.ओ.) का दौरा किया। शिष्टमंडल को नॉर्वे-भारत सहयोग, तेल आधारित अर्थव्यवस्था से नई हरित उत्पादन अर्थव्यवस्था में अंतरण पर प्रस्तुति दी गई। शिष्टमंडल के सदस्यों ने वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की और रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा पेश की गई नई तकनीकों पर अपने संदेह को स्पष्ट किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन तकनीकों का प्रयोग भारत में किया जा सकता है।

9.17 शिष्टमंडल के नेता और सदस्यों ने नॉर्वे में भारत के राजदूत, श्री देबराज प्रधान की मेजबानी में आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय और प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।

[श्री एस.एस. अहलुवालिया, संसदीय कार्य राज्य मंत्री नॉर्वे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए]

9.18 यह पहली बार था जब भारत के एक आधिकारिक संसदीय शिष्टमंडल ने संसदीय कार्य तथा कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री एस.एस. अहलूवालिया के नेतृत्व में 4-5 जून, 2017 के दौरान इज़राइल का दौरा किया। शिष्टमंडल ने येरूशलेम में याड वास्हेम, होलोकॉस्ट मेमोरियल संग्रहालय का दौरा किया और शिष्टमंडल के नेता ने लिखा कि "संग्रहालय सहिष्णुता का एक जीवंत उदाहरण है और भावी पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है कि ऐसी घटनाओं को कभी भी मानव इतिहास में जगह नहीं मिलनी चाहिए।"

[श्री एस.एस. अहलुवालिया, संसदीय कार्य राज्य मंत्री येरूशलेम में होलोकॉस्ट मेमोरियल संग्रहालय का दौरा करते हुए]

9.19 संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडल ने इज़राइल के विदेश मंत्रालय में अपर महानिदेशक, श्री एलोन अपस्पित्ज़ से मुलाकात की। बैठक के दौरान, शिष्टमंडल को अपर महानिदेशक, विदेश मंत्रालय द्वारा पड़ोसी क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए इज़राइल द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में द्विपक्षीय संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी दी गई। उन्होंने शिष्टमंडल को इज़राइल की विदेश नीति के बारे में भी संक्षिप्त विवरण दिया।

[भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल इज़राइल के विदेश मंत्रालय में अपर महानिदेशक, श्री एलोन अपस्पित्ज़ से मुलाकात करते हुए]

9.20 सद्भावना शिष्टमंडल ने नेसेट (इज़राइल की संसद) के अध्यक्ष, श्री यूली एडेलस्टाइन से मुलाकात की। नेसेट के अध्यक्ष, श्री युली एडेलस्टाइन के साथ अपनी बैठक में, देशों के बीच, विशेषकर भारत और इज़राइल जैसे जीवंत लोकतंत्रों के बीच, संबंधों के निर्माण में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। शिष्टमंडल के नेता और नेसेट के अध्यक्ष, श्री एडेलस्टाइन ने आतंकवाद, जिससे दुनिया भर के देश पीड़ित हैं, के खतरे से निपटने के लिए दोनों देशों के मिलकर काम करने की जरूरत पर सहमति जताई। शिष्टमंडल के नेता ने अध्यक्ष, श्री एडेलस्टाइन को भारत की यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया।

[सद्भावना शिष्टमंडल नेसेट के अध्यक्ष, श्री यूली एडेलस्टाइन से मुलाकात करते हुए]

9.21 शिष्टमंडल ने चालकरहित-प्रौद्योगिकी कंपनी, "मोबिलिए" का दौरा किया जहां शिष्टमंडल ने उस प्रौद्योगिकयों में से कुछ को समझने के लिए कई स्थल दौरे किए जिन्होंने इज़राइल को विश्व प्रसिद्ध बनाया है। इनमें स्वायत्त कार टेक्नोलॉजी कंपनी "मोबिलिए" का दौरा भी शामिल था जिसे हाल ही में 15 अरब डॉलर से अधिक में इंटेल द्वारा खरीदा गया है। यह कहना उपयुक्त होगा कि इज़राइल अब स्वायत्त कार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का केंद्र बन चुका है।

[सद्भावना शिष्टमंडल स्वायत्त कार टेक्नोलॉजी कंपनी "मोबिलिए" में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी गई]

9.22 शिष्टमंडल ने किबबुत्ज़ नांदन जैन में परिशुद्ध खेती के लिए नवीनतम जलीय विलयनों का भी अवलोकन किया।

9.23 शिष्टमंडल ने तेल अवीव के दक्षिण में स्थित सोरेक में इज़राइल के सबसे बड़े जल विलवणीकरण संयंत्र का दौरा किया और विलवणीकरण की विधि, प्रयुक्त प्रक्रिया, शामिल लागत और जल विलवणीकरण में लगने वाले समय के बारे में जानकारी हासिल की। शिष्टमंडल ने संयंत्र परिसर में विलवणीकृत जल का स्वाद चख कर देखा।

शिष्टमंडल ने नेसेट के एक पूर्ण सत्र को भी देखा और नेसेट के सदस्य, श्री एम.के. याकव के साथ विचारों का लाभप्रद आदान प्रदान किया।

[शिष्टमंडल नेसेट के पूर्ण सत्र के दौरान]

9.24 शिष्टमंडल ने 6 जून, 2017 को तेल अवीव से फ्रैंकफर्ट होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और अगले दिन 0100 बजे दिल्ली पहुंचा।

9.25 दौरा काफी सफल और संतोषजनक रहा तथा शिष्टमंडल का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। शिष्टमंडल ने मेजबान देशों पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। दोनों पक्षों के बीच विचारों और धारणाओं का मुक्त और उपयोगी आदान-प्रदान हुआ और वे एक बेहतर दुनिया के लिए साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हुए।

9.26 शिष्टमंडल ने नोट किया कि स्वीडन और नॉर्वे के नॉर्डिक देशों में गैर-पारंपरिक ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट शहरों और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावना है। शिष्टमंडल ने स्वीडन और नॉर्वे के नॉर्डिक देशों में लोकतंत्र की गहन परंपरा, संसद, विशेषकर संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली को नोट किया। भारत के इस उच्चस्तरीय संसदीय शिष्टमंडल के दौरे से मौजूदा उच्चस्तरीय संबंधों को पुनर्जीवित करने तथा भारत-स्वीडन और भारत-नॉर्वे संबंधों को और मजबूत करने की अपेक्षाएं थी।

9.27 इज़राइल दौरे के दौरान, शिष्टमंडल परिशुद्ध खेती के लिए जल और विलयन के क्षेत्र में इज़राइल की उन्नत तकनीकों से परिचित होकर संतुष्ट था और शिष्टमंडल ने आशा व्यक्त की कि इस तरह के संपर्क बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.28 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों के लिए संसद सदस्यों के नामों का नामांकन/अनुमोदन करते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित संसद सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाए गए शिष्टमंडलों/बैठकों में नामांकित किया गया:-

1.	1. श्री चिराग पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा)	23-27 सितंबर, 2017 के दौरान चीन में आयोजित दूसरे एशियाई अफ्रीकी समारोह में भाग लेने के लिए।
2.	1. श्री चिराग पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा) 2. श्रीमती अंजू बाला, संसद सदस्य (लोक सभा) 3. श्री संभाजी छत्रपती, संसद सदस्य (राज्य सभा) 4. श्री श्रीनिवास केसिनेनी, संसद सदस्य (लोक सभा)	11-14 अक्टूबर, 2017 के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में ब्रिक्स युवा सांसद मंच।

विदेशों से आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ बैठक

9.29 दिनांक 1.1.2017 से 31.12.2017 के दौरान, विदेशों से निम्नलिखित संसदीय शिष्टमंडलों ने संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात की तथा संसद के कार्यचालन और परस्पर हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया:

1.	28 मार्च, 2017	महामहिम श्री बार्डिश शैगर, सदन में सरकार के नेता और लघु व्यापार और पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में **कनाडा** से एक पांच सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल।

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.30 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 10 संसद सदस्यों (7 सदस्य राज्य सभा के और 3 सदस्य लोक सभा के) ने अपने विदेश दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.31 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता हो, उनके संबंध में गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.32 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.33 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में गुजरात और तेलंगाना की सरकारों के गण्यमान्य व्यक्तियों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

अध्याय -10
युवा संसद योजना

एक झलक:

- विभिन्न "युवा संसद प्रतियोगिता" योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:-
  - क) विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के लिए 12-13 जनवरी, 2017 को पुदुचेरी में।
  - ख) शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 52वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के लिए 8-9 मई, 2017 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में।
  - ग) केंद्रीय विद्यालयों के लिए 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के लिए लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई और धर्मशाला में क्रमश: 17-18 अप्रैल, 2017, 20-21 अप्रैल, 2017, 24-25 अप्रैल, 2017, 1-2 मई, 2017 और 4-5 मई, 2017 को।
  - घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के लिए नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय, नोएडा और नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में क्रमश: 6-7 अप्रैल, 2017 और 27-28 अप्रैल, 2017 को।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 20वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 के पुरस्कार वितरण समारोह, दिल्ली के विद्यालयों के लिए 51वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 और केंद्रीय विद्यालयों के लिए 29वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 के लिए संयुक्त पुरस्कार वितरण समारोह तथा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन क्रमश: 12 जुलाई, 2017, 13 जुलाई, 2017 और 20 सितंबर, 2017 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में किया गया।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है

और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, शील्ड, प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

51वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.2 दिल्ली के विद्यालयों के लिए 51वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 और केंद्रीय विद्यालयों के लिए 29वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 का संयुक्त पुरस्कार वितरण समारोह 13 जुलाई, 2017 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. अहलुवालिया, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की थी और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए थे। रूकमणी देवी पब्लिक स्कूल, सीडी ब्लॉक, पीतमपुरा को प्रतियोगिता का विजेता बनने पर **"पंडित मोतीलाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती"** प्रदान की गई। तथापि, स्टेज पर युवा संसद सत्र का पुन: अभिनय केंद्रीय विद्यालय नं.1, जीसीएफ, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

52वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.3 इस मंत्रालय ने 52वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 8-9 मई, 2017 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पृष्ठभूमि संबंधी आवश्यक सामग्री वितरित की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा व्याख्यात्मक भाषण दिए गए। 30 विद्यालयों से 52 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों ने इस अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया।

2. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.4 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। वर्तमान में 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रगति पर है।

29वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोतगिता, 2016-17 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.5 दिल्ली के विद्यालयों के लिए 51वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 और केंद्रीय विद्यालयों के लिए 29वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 का संयुक्त पुरस्कार वितरण

समारोह 13 जुलाई, 2017 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. अहलुवालिया, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की थी और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए थे। केंद्रीय विद्यालय नं.1, जीसीएफ, जबलपुर को इस अवसर पर नेहरू चल वैजयन्ती प्रदान की गई। मंच पर युवा संसद सत्र का पुन: अभिनय केंद्रीय विद्यालय नं.1, जीसीएफ, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया। चार केंद्रीय विद्यालयों को अपने-अपने अंचलों में उनके योग्य निष्पादन के लिए आंचलिक विजेता की ट्रॉफियां और 20 विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी केन्द्रीय विद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

[श्री एस.एस. अहलुवालिया, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री केंद्रीय विद्यालय नं.1, जीसीएफ, जबलपुर के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।]

30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.6 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद, 2017-18 के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के समन्वय से निम्न प्रकार से पांच अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए:-

(i) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम केंद्रीय अंचल के लिए 17 और 18 अप्रैल, 2017 को केन्द्रीय विद्यालय, लखनऊ कैंट में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात लखनऊ, पटना, भोपाल, वाराणसी और रायपुर से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों ने भाग लिया।

(ii) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम पूर्वी अंचल के लिए 20 और 21 अप्रैल, 2017 को केन्द्रीय विद्यालय, मालीगांव, गुवाहाटी में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों

अर्थात कोलकाता, गुवाहाटी, सिल्चर, तिनसुकिया और भुवनेश्वर से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों ने भाग लिया।

(iii) तीसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम दक्षिणी अंचल के लिए 24 और 25 अप्रैल, 2017 को केन्द्रीय विद्यालय, पिकेट, सिकंदराबाद में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात चैन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, एरनाकुलम और जबलपुर से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों ने भाग लिया।

(iv) चौथा अभिविन्यास पाठ्यक्रम पश्चिमी अंचल के लिए 1 और 2 मई, 2017 को केन्द्रीय विद्यालय, भांडुप में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, आगरा और रांची से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों ने भाग लिया।

(v) पांचवां अभिविन्यास पाठ्यक्रम उत्तरी अंचल के लिए 4 और 5 मई, 2017 को केन्द्रीय विद्यालय, धर्मशाला में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, गुडगांव, जम्मू से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों ने भाग लिया।

30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का मूल्यांकन

10.7 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 125 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिताएं पहले अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गई। तत्पश्चात, 5 आंचलिक स्तर की प्रतियोगिताएं 25 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिता के राष्ट्रीय विजेता की घोषणा की जानी है जिसे पुरस्कार वितरण समारोह में संसदीय चल वैजयन्ती प्रदान की जाएगी जिसके जुलाई, 2018 में आयोजित होने की संभावना है।

3. <u>जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.8 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक 20 प्रतियोगिताएं पूरी की जा चुकी हैं। 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रगति पर है।

20वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.9 20वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 का पुरस्कार वितरण समारोह 12 जुलाई, 2017 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. अहलुवालिया, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। जवाहर

नवोदय विद्यालय, सोनितपुर जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को संसदीय चल वैजयन्ती प्रदान की गई।

[श्री एस.एस. अहलुवालिया, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्री राजीव यादव, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय जवाहर नवोदय विद्यालय, सोनितपुर के पुरस्कार विजेताओं के साथ]

जवाहर नवोदय विद्यालयों में 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.10 युवा संसद गतिविधि के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, इस मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय समिति के परामर्श से 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के संबंध में दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से आयोजित किए:-

(i) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 6 और 7 अप्रैल, 2017 को नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय, नोएडा में चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, शिलाँग क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

(ii) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 27 और 28 अप्रैल, 2017 को नेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में हैदराबाद, भोपाल, जयपुर, पुणे क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का मूल्यांकन

10.11 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 64 जवाहर नवोदय विद्यालयों में किया गया। प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर और तत्पश्चात अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई। प्रतियोगिता के राष्ट्रीय विजेता की घोषणा अभी की जानी है।

4. <u>विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.12 वर्ष 1997-98 से अब तक पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में कुल 13 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रगति पर है।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.13 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2016-17 का पुरस्कार वितरण समारोह 20 सितंबर, 2017 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की। जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और उसे नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 6 अन्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को भी ग्रुप स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इन 7 विश्वविद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों/अध्यापकों को भी प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का मूल्यांकन

10.14 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 74 विश्वविद्यालयों में किया गया। ग्रुप स्तर के मूल्यांकन पूरे हो गए हैं। प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन जल्द ही आयोजित किए जाएंगे।

5. <u>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.15 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना चलाई जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान केरल (वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए), ओडिशा (वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए) और मध्य प्रदेश (वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए) राज्यों को क्रमश: रू.4,00,000/-, रू.4,00,000/- तथा रू.5,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण

10.16 मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिता योजना को आरंभ करने और चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण और साहित्य भी उपलब्ध कराता है। इस

प्रयोजन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रधानाचार्यों, प्रभारी अध्यापकों और आयोजकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा आयोजित 'अभिविन्यास पाठ्यक्रमों' में, यदि अनुरोध किया जाता है तो इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा ''युवा संसद प्रतियोगिता'' के संचालन के सिद्धांत और प्रक्रिया संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर, युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर, 2017 को आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया और मंत्रालय ने युवा संसद के संचालन संबंधी साहित्य भी उपलब्ध कराया।

6. "नया भारत - करके रहेंगे" विषय पर प्रदर्शनी-सह-सांस्कृतिक कार्यक्रम

10.17 संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष और आगामी वर्ष 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्षों का स्मरणोत्सव मनाने के लिए "नया भारत - करके रहेंगे" या "न्यू इंडिया - वी रिजोल्व टू मेक" विषय पर पूरे देश में 39 स्थानों पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र एककों (सी.पी.एस.यू.), डी.ए.वी.पी., गीत और नाटक प्रभाग और दिल्ली दूरदर्शन के सहयोग से प्रदर्शनी-सह-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समन्वय किया।

[श्री एम. वेंकैया नायडु, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति 27 अगस्त, 2017 को अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में श्री सी. विद्यासागर राव, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल और श्री अनंतकुमार, कैबिनेट मंत्री की सम्मानीय उपस्थिति में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।]

अध्याय-11

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिन्दी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें दिनांक 28.03.2017, 23.06.2017, 28.09.2017 और 22.12.2017 को आयोजित की गई। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

हिन्दी सलाहकार समिति

11.5 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 17 मई, 2017 और 6 दिसंबर, 2017 को समिति की क्रमश: तीसरी और चौथी बैठक आयोजित की गई।

[संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल 6 दिसंबर, 2017 को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक लेते हुए]

[संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल 6 दिसंबर, 2017 को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के पश्चात समिति के सदस्यों के साथ]

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान चार अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा

11.7 1 से 14 सितम्बर, 2017 के दौरान मंत्रालय में "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन दिवस पर मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित 7 प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गई:-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता;
3. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता;
4. हिंदी निबंध प्रतियोगिता;
5. सामान्य हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता;
6. हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता; और

7. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता।

[14 सितंबर, 2017 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर श्री राजीव यादव, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए]

11.8 हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह 14 सितम्बर, 2017 को संसद भवन में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 24 अधिकारियों/कर्मचारियों **(अनुबंध-10)** को पुरस्कार प्रदान किए गए।

[14 सितंबर, 2017 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर श्री राजीव यादव, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित करते हुए]

11.9 मंत्री के वैयक्तिक अनुभाग और अनुसंधान प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	कार्यान्वयन-I अनुभाग	100%
3.	कार्यान्वयन-II अनुभाग	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी-II अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%
10.	विधायी-I अनुभाग	50%
11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिन्दी कार्यशाला

11.10 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान 14 से 23 फरवरी, 2017 के दौरान हिंदी कार्यशाला का संचालन किया गया। इस कार्यशाला में 16 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

11.11 हिंदी कार्यशाला के अतिरिक्त, तीसरे योग दिवस समारोह के भाग के रूप में 24 मई, 2017 को मंत्रालय में सभी कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 14 सितंबर, 2017 को भी मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के लिए योग की एक लघु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों में जानी-मानी योग विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा को कर्मचारियों को योगाभ्यास कराने और व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

अध्याय - 12

सामान्य

<u>एक झलक</u>

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
  (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 39 संसद सदस्य (22 लोक सभा और 17 राज्य सभा); और
  (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 11 संसद सदस्य (02 लोक सभा और 09 राज्य सभा)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 39 संसद सदस्यों (लोक सभा के 22 और राज्य सभा के 17) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि (**परिशिष्ट-11)** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान (**परिशिष्ट-12)** में दर्शाए गए रूप में 11 संसद सदस्यों (लोक सभा के 02 और राज्य सभा के 09) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.3 संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई:

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, सदनों में प्रस्तुत किए गए/पटल पर रखे गए निम्नलिखित प्रतिवेदन में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई:-

(i) सभापटल पर रखे गए कागज-पत्रों संबंधी समिति, राज्य सभा का एक सौ पचासवां प्रतिवेदन।

(ii) सोलहवीं लोक सभा की याचिका समिति के 25वां से 46वां प्रतिवेदन। राज्य सभा की याचिका समिति का 154वां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते

12.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

12.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

12.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम 37) संसद द्वारा पारित किया गया था जिसके द्वारा सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन और पेंशन बढ़ाए गए थे। वेतन और पेंशन 18 मई, 2009 से बढ़ाए गए थे जोकि पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख है। भत्ते 1 अक्तूबर, 2010 से बढ़ाए गए थे।

12.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-13** और **परिशिष्ट-14** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.8 16वीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 18वें और 19वें प्रतिवेदन पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई।

संसद सदस्यों का कल्याण

12.9 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

12.10 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.nic.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

12.11 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री ई. अहमद, संसद सदस्य (लो.स.) (इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग) जिनका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिनांक 01.02.2017 को दिल का दौरा पड़ने पर देहांत हो गया था, के दुखद निधन पर सहायता प्रदान की गई और उसी दिन स्वर्गीय श्री ई. अहमद के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चार्टिड हवाई जहाज से थाना कन्नूर, केरल भेजा गया।

12.12 श्री पी.जी. रेड्डी, संसद सदस्य (रा.स.) (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस), जिनका सरकारी दौरे के दौरान कुल्लू, मनाली, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 09.06.2017 को दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था और उसी दिन स्वर्गीय श्री पी.जी. रेड्डी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चार्टिड हवाई जहाज से कुल्लू से दिल्ली होते हुए नलगोंडा, तेलंगाना भेजा गया।

12.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री सांवर लाल जाट, संसद सदस्य (लो.स.) (भारतीय जनता पार्टी) जिनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिनांक 09.08.2017 को दिल का दौरा पड़ने पर देहांत हो गया था, के दुखद निधन पर सहायता प्रदान की गई और उसी दिन स्वर्गीय श्री सांवर लाल जाट के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चार्टिड हवाई जहाज से किशनगढ़, राजस्थान भेजा गया।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

12.14 संसदीय कार्य मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, जब भी आवश्यक हो, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था करता है।

12.15 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर रात तक बैठक (बैठकें) चलने के दौरान संसद भवन में संसद सदस्यों, प्रेस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात्रि भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

12.16 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, उसके समापन समारोह और निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

12.17 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार से बैठकें बुलाई गई:

क्र.सं.	**तारीख**	**जिनके द्वारा बैठक बुलाई गई/बैठक की अध्यक्षता की गई**	**विषय**	**स्थान**
1.	30.01.2017	संसदीय कार्य मंत्री	बजट सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
2.	16.07.2017	संसदीय कार्य मंत्री	मानसून सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
3.	14.12.2017	संसदीय कार्य मंत्री	शीतकालीन सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

12.18 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख

भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

12.19 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से दिनांक 31.12.2017 तक सत्रह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 17वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आंध्र प्रदेश विधानमंडल के सहयोग से 29-30 सितंबर, 2015 को विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

12.20 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य के बेहतर निपटान के उद्देश्य से, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई। संसदीय कार्य मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुमोदन से, वर्ष 1985 से मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए इन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया। इस मंत्रालय ने 4 से 8 अप्रैल, 2016 को संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों पर 14वें अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया।

12.21 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जो अंततः पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

12.22 अनुसंधान प्रकोष्ठ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन पर हैंडबुक के लिए सामग्री की समीक्षा करता है/उसे अद्यतित करता है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मांग किए जाने पर

संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के मामलों पर परामर्श/मार्ग-दर्शन प्रदान करता है। समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

12.23 अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका को तैयार करता है और मंत्रालय के नागरिक चार्टर को अद्यतित करता है तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी संगत सिफारिशों पर कार्रवाई करता है। सांख्यिकी पुस्तिका को दिसंबर, 2017 में संशोधित/अद्यतित किया गया था।

12.24 अनुसंधान प्रकोष्ठ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय भी है जिसका रखरखाव अनुसंधान प्रकोष्ठ के स्टाफ द्वारा किया जाता है।

12.25 अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामलों और संसदीय सचिवों के कार्यों संबंधी मामलों को निपटाया जाता है। लाभ के पद के संबंध में, औषधीय शिक्षा और अनुसंधान विभाग को परामर्श दिया गया कि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान (एन.आई.पी.ई.आर.) के शासक मंडल में संसद सदस्यों का नामांकन संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत निरर्हता से छूट प्राप्त नहीं है।

12.26 दिनांक 1.1.2017 से 31.12.2017 की अवधि के दौरान, प्रकोष्ठ द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में भारत सरकार में संसदीय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका का संशोधन तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन पर हैंडबुक का संशोधन शामिल है।

12.27 वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2017-18 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बजट की स्थिति

12.28 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	बजट अनुमान 2017-18		संशोधित अनुमान 2017-18		बजट अनुमान 2018-19		वास्तविक व्यय 2018-18 (29.12.2017 तक)	
		पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय (लघु शीर्ष) 13- संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00 - स्थापना								
	13.00.01 - वेतन	--	109800	--	104300	--	109500	--	92715
	13.00.03 - समयोपरि भत्ता	--	200	--	200	--	100	--	150
	13.00.06 - औषधीय चिकित्सा	--	1000	--	2000	--	1500	--	999
	13.00.11 - घरेलू यात्रा व्यय	--	2500	--	3500	--	3000	--	2342
	13.00.12 - विदेश यात्रा व्यय	--	25000	--	14500	--	25000	--	8885
	13.00.13 - कार्यालय व्यय	--	17000	--	17000	--	17000	--	12407
	13.00.16 - प्रकाशन	--	1300	--	1100	--	1100	--	411
	13.00.20 - अन्य प्रशासनिक व्यय	--	9000	--	13500	--	8400	--	5594
	13.00.50 - अन्य प्रभार	--	11500	--	10500	--	10500	--	5975
	13.96 - स्वच्छता कार्य योजना 13.96.50 -अन्य प्रभार	--	00	--	1000	--	1000	--	00
	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.13 - कार्यालय व्यय	--	1500	--	16200	--	11500	--	1500
	कुल मुख्य शीर्ष '2052'	**--**	**178800**	**--**	**183800**	**--**	**188600**	**--**	**130978**

12.29 **9-14 नवंबर, 2017 के दौरान मनाली में कौशल विकास, आपदा प्रबंधन, टीम निर्माण और नेतृत्व पाठ्यक्रम - संसदीय कार्य मंत्रालय के स्टाफ द्वारा प्रतिभागिता।**

विभिन्न अनुभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कुशलता अर्जित करते हैं। तथापि, कार्यस्थल पर काम करने का वातावरण उबाऊ और नीरस हो जाता है जो हमारे कार्य प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। इस उबाऊपन और नीरसता पर काबू पाने के लिए, विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के बीच परस्पर जुड़ाव से हम एक प्रफुल्लित वातावरण प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की कौशल विकास संबंधी नीति, जिसका उद्देश्य अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में एक समर्थ और अग्रसक्रिय व्यक्ति बनना है, के अनुसरण में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने मनाली (हिमाचल प्रदेश) में माउंट एवरेस्ट फाउंडेशन द्वारा संचालित कौशल विकास, आपदा प्रबंधन, टीम निर्माण और नेतृत्व विषयक पाठ्यक्रम के लिए 12 सदस्यों की टीम प्रतिनियुक्त की थी।

साहस, नेतृत्व और टीम निर्माण के अलावा इस पाठयक्रम के उद्देश्य में एक अपरिचित परिस्थिति में चुनौतियों का सामना करना, स्वभावजन्य कौशल का सामना करना, दूसरे प्रतिभागियों के साथ परस्पर बेहतर संवाद, संकट में विशेषकर अपादा जैसी परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेना, प्रकृति के तालमेल बनाना और कैंप फायर जैसा मनोरंजन इत्यादि शामिल था।

टीम में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:-

1	श्री प्रद्योत बेपारी	अनुभाग अधिकारी
2	श्री मोहम्मद असदुल्लाह	सहायक अनुभाग अधिकारी
3	श्री चंदन कुमार	सहायक अनुभाग अधिकारी
4	श्री अर्पित त्यागी	सहायक अनुभाग अधिकारी
5	श्री नवीन भारद्वाज	सहायक अनुभाग अधिकारी
6	श्री प्रवीण कुमार यादव	सहायक अनुभाग अधिकारी
7	श्री राहुल अग्रवाल	सहायक अनुभाग अधिकारी
8	श्री संजीत कुमार दास	सहायक अनुभाग अधिकारी
9	श्री अविनाश कुमार	सहायक अनुभाग अधिकारी
10	श्री पंकज कुमार	वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक
11	श्री जय नारायण	कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक
12	श्री परविन्द्र खत्री	कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक

मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त सचिव और विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से, ग्रुप ने मनाली जाने और वापस आने की यात्रा एक साथ मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई मिनी बस द्वारा सड़क मार्ग से की।

टीम ने पूरी रात यात्रा करके कैंप कार्यालय, नेंशनल स्कूल ऑफ एडवेंचर, प्रीनी ग्राम, मनाली (हिमाचल प्रदेश) पहुँचने के लिए 9 नवंबर, 2017 को दिल्ली से प्रस्थान किया। परंतु कोहरे और प्रदूषण तथा खराब दृश्यता के कारण, टीम दिनांक 10.11.2017 की शाम तक आयोजन स्थल पर पहुंच सकी। टीम का स्वागत करने के बाद, करने और न करने योग्य बातों, अनुशासन, प्रकृति का सम्मान करना और शामिल जोखिम कारकों की संक्षिप्त जानकारी दी गई। टीम को कैंप कार्यालय में माउंट एवरेस्ट फाउंडेशन द्वारा उचित रसद सहायता प्रदान की गई। श्री इंद्र देव, एक बहुत ही अनुभवी पर्वतारोही, को संसदीय कार्य दल के लिए अनन्य प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था। प्रत्येक सदस्य को अपना सामान ले जाने के लिए एक रकसैक (पीठ पर लादने वाला बैक), जैकेट और रेनकोट उपलब्ध कराया गया था। सभी प्रशिक्षुओं को अपने बर्तनों को इस्तेमाल करने के बाद धोना होता था। 'लीव नो ट्रेस' तकनीकों और स्वच्छता का उपयोग करके किसी ने भी कचरे का एक टुकड़ा नहीं छोड़ा।

दिनांक 11.11.2017 की सुबह, टीम थोरकु, आउटर मनाली में 200 मीटर ऊपर बेस कैंप की लगभग 3 घंटे की पैदल यात्रा पर रवाना हुई। थोरकु बेस कैंप में, रस्सी कौशल और 'कमांडो नेट' के साथ 'मंकी क्रॉलिंग' का प्रदर्शन किया। आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि प्रत्येक प्रशिक्षु ने प्रयास किया, अच्छी तरह से किया और सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। टीम के सदस्यों

और प्रशिक्षक ने रात के खाने के बाद अलाव के साथ पूरे दिन की उपलब्धि का उत्सव मनाया। टीम को दो बड़े तंबू और स्लीपिंग बैग उपलब्ध कराए गए थे। यह उल्लेख करना उचित होगा कि बेस कैंप में तापमान रात को -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था।

दिनांक 12.11.2017 को, सुबह शारीरिक व्यायाम के बाद, टीम 300 मीटर से भी ऊंची खड़ी घाटी के लिए रवाना हुई। ट्रेकिंग के दौरान औसत चढ़ाई लगभग 30 डिग्री थी और बहुत थका देने वाली थी। हालांकि चढ़ाई में लगभग चार घंटे लगे परंतु वापसी एक घंटे के भीतर कर ली गई। रास्ते में टीम विभिन्न तरह की वनस्पतियों और पहाड़ी झरनों के दर्शन हुए। बेस कैंप लौटते समय, टीम अलाव के लिए सूखी लकड़ी लेकर साथ लाई।

दोपहर के भोजन के तुरंत बाद, फ्री हॉरिजेंटल डिसेंडिंग, क्रॉसिंग बर्मा ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज पर चलने जैसा रस्सी कौशल अभ्यास सबसे रोमांचक प्रशिक्षण था। लेकिन टीम द्वारा किया गया सबसे रोमांचित अभ्यास 'रैपलिंग' था जिसमें चट्टानों के बीच रस्सी की मदद से खड़े चलना था। टीम ने अपने अनुभव और खुशी साझा करके अलाव के चारों ओर शाम का आनंद लिया।

दिनांक 13.11.2017 को, कार्यक्रम के अनुसार, टीम बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट अकादमी, प्रीनी के कैंप कार्यालय में उतर आई। इसके बाद, टीम सोलंगनाला के लिए रवाना हुई। यह सोलंग घाटी में अंजनी माहदेव मंदिर तक 3 कि.मी. लंबी पैदल यात्रा थी । क्षेत्र की सुंदर प्राकृतिक पृष्ठभूमि फोटोग्राफर के लिए स्वर्गिक और पर्यटकों के लिए चकित करने वाली है।

दोपहर में, टीम ने अकादमी के कर्मचारियों को उनके आतिथ्य, प्रेम और देखभाल के लिए धन्यवाद किया। अकादमी के सहृदयतापूर्ण कर्मचारियों ने हमें अलविदा कहा।

जिन प्रतिभागियों के बीच पहले मात्र औपचारिक बातचीत थी, वे पाठ्यक्रम के दौरान एक टीम के रूप में एक-दूसरे के नजदीक आए, उन्होंने परिस्थितियों पर चर्चा की, समस्याओं का मिलकर समाधान किया। उन्होंने अलग-अलग व्यक्ति की सीमा, साथ काम करने की शक्ति, आत्मविश्वास को समझने और निश्चित रूप से पर्यावरण और प्रकृति का सम्मान करने का प्रयास किया।

इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम झिझक की उस बाधा को समाप्त करते हैं जिसका सामना किसी सम्मिलित कार्य के दौरान 'तुरंत निर्णय' लेने की स्थिति में एक व्यक्ति कर सकता है। प्रशिक्षण ने बिना लड़े या कम से कम प्रयास किए बिना हार स्वीकार नहीं करने के लिए भी प्रेरित किया।

दिनांक 14.11.2017 को अपराह्न 2.30 बजे टीम रायसीना रोड, नई दिल्ली पहुंची।

परिशिष्ट-1

(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण;
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय;
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन;
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क;
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां;
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति;
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन;
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन;
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख;
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता;
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह;
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय;
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे;
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव- कार्य;
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन;
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन;
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान;
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई;
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका;

21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30);
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33);
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 1.1.2017 से 05.01.2018 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
					लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा
सोलहवीं लोक सभा का 11वां सत्र और राज्य सभा का 242वां सत्र					
क्र.सं.	**अधिनियम का नाम**	**विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)**	**विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख**		**अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति**
			लो.स.	**रा.स.**	
1.	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	वित्त मंत्रालय				
1.	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अधिनियम, 2017	03.02.2017 (लो.स.)	07.02.2017	#	27.02.2017 2017 का 2
2.	विनियोग अधिनियम, 2017	20.03.2017 (लो.स.)	20.03.2017	23.03.2017	24.03.2017 2017 का 4
3.	विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2017	20.03.2017 (लो.स.)	20.03.2017	23.03.2017	24.03.2017 2017 का 5
4.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	27.03.2017 (लो.स.)	29.3.2017	06.04.2017	12.04.2017 2017 का 12
5.	एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	27.03.2017 (लो.स.)	29.3.2017	06.04.2017	12.04.2017 2017 का 13
6.	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017	27.03.2017 (लो.स.)	29.3.2017	06.04.2017	12.04.2017 2017 का 15
7.	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	27.03.2017 (लो.स.)	29.3.2017	06.04.2017	12.04.2017 2017 का 14
8.	वित्त अधिनियम, 2017	01.02.2017 (लो.स.)	22.03.2017 30.03.2017**	29.3.2017	31.03.2017 2017 का 7
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय				
9.	मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017	19.08.2013 (रा.स.)	27.03.2016	08.08.2016 30.3.2017*	07.04.2017 2017 का 10
10.	मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017	11.02.2014 (रा.स.)	11.04.2017	21.3.2017	20.04.2017 2017 का 16
	श्रम और रोजगार मंत्रालय				
11.	मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017	03.02.2017 (लो.स.)	07.02.2017	08.02.2017	15.02.2017 2017 का 1

12.	कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017	05.08.2016 (लो.स.)	9.8.2016 05.04.2017*	22.03.2017	12.04.2017 2017 का 11
	विधि और न्याय मंत्रालय				
13.	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017	08.03.2016 (लो.स.)	09.03.2016 14.03.2017*	10.03.2017	14.03.2017 2017 का 3
	रेल मंत्रालय				
14.	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2017	20.03.2017 (लो.स.)	20.03.2017	30.3.2017	31.03.2017 2017 का 8
15.	विनियोग (रेल) संख्या 2 अधिनियम, 2017	20.03.2017 (लो.स.)	20.03.2017	30.3.2017	31.03.2017 2017 का 9
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय				
16.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017	10.03.2017 (लो.स.)	23.03.2017	10.04.2017	28.04.2017 2017 का 17
	सोलहवीं लोक सभा का 12वां सत्र और राज्य सभा का 243वां सत्र				
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय				
1.	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017	14.03.2017 (लो.स.)	05.04.2017	24.07.2017	04.08.2017 2017 का 20
	वित्त मंत्रालय				
2.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017	24.07.2017 (लो.स.)	03.08.2017	10.08.2017	25.08.2017 2017 का 30
3.	विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2017	01.08.2017 (लो.स.)	01.08.2017	#	23.08.2017 2017 का 28
4.	विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2017	01.08.2017 (लो.स.)	01.08.2017	#	23.08.2017 2017 का 29
5.	केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 2017	31.07.2017 (लो.स.)	02.08.2017	#	23.08.2017 2017 का 26
6.	एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 2017	31.07.2017 (लो.स.)	02.08.2017	#	23.08.2017 2017 का 27
7.	पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ पर विस्तारण) संशोधन अधिनियम, 2017	31.07.2017 (लो.स.)	03.08.2017	#	26.08.2017 2017 का 31
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
8.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2017	09.12.2016 (लो.स.)	28.3.2017	26.07.2017	04.08.2017 2017 का 19
9.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017	10.04.2017 (लो.स.)	19.07.2017	27.07.2017	09.08.2017 2017 का 23

10.	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017	10.04.2017 (लो.स.)	21.07.2017	01.08.2017	09.08.2017 2017 का 24
11.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017	27.03.2017 (लो.स.)	26.07.2017	03.08.2017	17.08.2017 2017 का 25
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
12.	नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017	21.11.2016 (लो.स.)	10.03.2017	24.07.2017	09.08.2017 2017 का 22
	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
13.	सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017	20.03.2017 (लो.स.)	11.04.2017	26.07.2017	04.08.2017 2017 का 21
	सोलहवीं लोक सभा का 13वां सत्र और राज्य सभा का 244वां सत्र				
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय				
1.	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017	16.03.2016 (लो.स.)	27.07.2017	19.12.2017	03.01.2018 2018 का 01
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय				
2.	भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017	18.12.2017 (लो.स.)	20.12.2017	27.12.2017	05.01.2018 2018 का 05
	वित्त मंत्रालय				
3.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2018	05.04.2017 (लो.स.)	03.08.2017 *04.01.2018	02.01.2018	18.01.2018 2018 का 07
4.	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2017	22.12.2017 (लो.स.)	27.12.2017	#	19.01.2018 2018 का 09
5.	विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2017	21.12.2017 (लो.स.)	21.12.2017	#	18.01.2018 2018 का 06
6.	विनियोग अधिनियम, 2018	04.01.2018 (लो.स.)	04.01.2018	#	25.01.2018 2018 का 11
7.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018	28.12.2017 (लो.स.)	29.12.2017 *04.01.2018	02.01.2018	18.01.2018 2018 का 08
	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय				
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2017	22.12.2017 (लो.स.)	27.12.2017	28.12.2017	31.12.2017 2017 का 32
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
9.	भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017	09.02.2017 (लो.स.)	28.07.2017	19.12.2017	31.12.2017 2017 का 33

विधि और न्याय मंत्रालय					
10.	निरसन और संशोधन अधिनियम, 2017	09.02.2017 (लो.स.)	19.12.2017	28.12.2017	05.01.2018 2018 का 02
11.	निरसन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2017	11.08.2017 (लो.स.)	19.12.2017	28.12.2017	05.01.2018 2018 का 04
12.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2018	21.12.2017 (लो.स.)	04.01.2018	#	25.01.2018 2018 का 10
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
13.	भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम, 2017	18.07.2017 (लो.स.)	04.08.2017	27.12.2017	25.01.2018 2018 का 10

लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए यथा अग्रेषित विधेयक को राज्य सभा में इसकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया गया। विधेयक को उक्त अवधि की समाप्ति पर संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उसी रूप में दोनों सदनों से पारित किया हुआ मान लिया गया जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

* संशोधनों से सहमत होना।

** संशोधनों को लोक सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

परिशिष्ट-3

(देखें पैरा 4.7)

16वीं लोक सभा के 13वें सत्र और राज्य सभा के 244वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची

लोक सभा

I. संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

1. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015
2. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016
3. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा (एफआरडीआई) विधेयक, 2017

II. लोक सभा को लौटाए गए विधेयक

4. संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017*(लोक सभा द्वारा पारित, राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित और राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लोक सभा को लौटाए गए रूप में)*

III. स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक

5. मजदूरी संहिता, 2017
6. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017
7. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017

IV. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

8. उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016
9. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016
10. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017
11. उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
12. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017
13. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017
14. विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017
15. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017
16. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017
17. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018
18. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018

V. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

19. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014
20. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014
21. लोक पाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014
22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015
23. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016
24. कोख किराए पर देना (विनियमन) विधेयक, 2016
25. वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016
26. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016
27. अंतरराज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017
28. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

<u>राज्य सभा</u>

I. संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक

1. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987

II. लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

2. सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015
3. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015
4. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017
6. स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017
7. प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017
8. केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
9. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017
10. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017

III. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

11. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
12. संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
13. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013

IV. लोक सभा द्वारा यथा पारित और प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक

14. मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2017

V. प्रवर समिति को भेजे गए विधेयक जिन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

15. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

VI. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

16. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
17. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
18. नगर पालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
19. बीज विधेयक, 2004
20. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
21. भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
22. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
23. निजि जासूसी एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2007
24. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008
25. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
26. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
27. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
28. राष्ट्रीय मानव संसाधन स्वास्थ्य आयोग विधेयक, 2011
29. सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012
30. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012
31. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
32. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
33. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
34. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
35. नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013
36. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
37. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
38. वक्फ संपत्ति (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014
39. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015

परिशिष्ट - 4

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 01.01.2017 से 05.01.2018 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण

केंद्रीय बजट

क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्तुतीकरण	01.02.2017	1	49	01.02.2017	-	-
2.	वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा	08.02.2017 09.02.2017	09	58	09.02.2017 16.03.2017 20.03.2017 21.03.2017 23.03.2017	14	47
3.	रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	14.03.2017 15.03.2017	09	40	#	#	#
4.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	15.03.2017 16.03.2017	08	06	-	#	#
5.	रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	16.03.2017 17.03.2017	04	27	-	#	#
6.	गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	17.03.2017	03	42	-	#	#
7.	अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)-2016-17	17.03.2017 20.03.2017	03	46	#	#	#
8.	(i) अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)-2016-17 (ii) अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)-2013-14	20.03.2017	-	-	-	#	#
9.	निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2017-18 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों	20.03.2017	02	06	#	#	#

	को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआ: (1) परमाणु ऊर्जा (2) आयुष (3) रसायन और उर्वरक (4) नागर विमानन (5) कोयला (6) वाणिज्य और उद्योग (7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (8) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (9) कारपोरेट कार्य (10) संस्कृति (11) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास (12) पेयजल और स्वच्छता (13) पृथ्वी-विज्ञान (14) इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी (15) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (16) विदेश (17) वित्त (18) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (19) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (20) भारी उद्योग और लोक उद्यम (21) आवास और शहरी गरीबी उपशमन (22) मानव संसाधन विकास (23) सूचना और प्रसारण (24) श्रम और रोजगार (25) विधि और न्याय (26) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (27) खान (28) अल्पसंख्यक कार्य (29) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (30) पंचायती राज (31) संसदीय कार्य (32) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (33) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (34) योजना (35) विद्युत (36) लोक सभा (37) राज्य सभा (38) उप राष्ट्रपति सचिवालय (39) सड़क परिवहन और राजमार्ग (40) ग्रामीण विकास (41) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (42) पोत परिवतन (43) पोत परिवहन विभाग (44) कौशल विकास और उद्यमिता (45) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (46) अंतरिक्ष विभाग (47) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन						

	(48) इस्पात (49) वस्त्र (50) पर्यटन (51) जनजातीय कार्य (52) शहरी विकास (53) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण (54) महिला और बाल विकास (55) युवा कार्य और खेल						
10.	वर्ष 2016-17 अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)	16.03.2017	-	-	#	#	#
11.	वर्ष 2013-14 अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)	16.03.2017	-	-	#	#	#
12.	(i) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगें (सामान्य)-2017-18 (ii) अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य)-2014-15 लोक सभा में मद (i) और (ii) पर एक साथ चर्चा की गई	26.07.2017 01.08.2017 26.07.2017 01.08.2017	5	11	#	#	#
13.	वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (दूसरा भाग)	18.12.2017	-	-	#	#	#
14.	वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें दूसरा भाग	21.12.2017	05	30	#	#	#
15.	वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें तीसरा भाग	04.01.2018	-	-	#	#	#

टिप्पणी: #राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 4.12)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	7.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां - 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां - 240 नहीं - 109 अनुपस्थित - 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.5.96 28.5.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।	10	51

6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.6.96 12.6.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20
7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.4.97	अस्वीकृत हां - 190 नहीं - 338 अनुपस्थित - 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.4.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.3.1998 28.3.1998	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां - 269 नहीं - 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.7.2008 22.7.2008	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 256	15	11

परिशिष्ट-6

(देखें पैरा 5.5)

01.01.2017 से 05.01.2018 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

(1) श्री बैजयंत पांडा द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन आदि)

(2) श्री बैजयंत पांडा द्वारा साक्षी संरक्षण कार्यक्रम विधेयक, 2016

(3) श्री बैजयंत पांडा द्वारा सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 3 का संशोधन आदि)

(4) श्री बैजयंत पांडा द्वारा मरणासन्न रोगियों का उपचार विधेयक, 2016

(5) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली द्वारा अनाथ बालक (सामाजिक सुरक्षा का उपबंध) विधेयक, 2016

(6) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 134 का संशोधन)

(7) श्री पी करूणाकरण द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 309 का संशोधन)

(8) श्री पी करूणाकरण द्वारा श्रमजीवी हाथी (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2016

(9) श्री पी करूणाकरण द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 80 का संशोधन)

(10) श्री पी करूणाकरण द्वारा वैज्ञानिक और नवाचार अनुसंधान अकादमी (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 39 का अंत:स्थापन)

(11) श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए भाग 10क का अंत:स्थापन)

(12) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2016

(13) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उपभोक्ता आयात (विनियमन) विधेयक, 2016

(14) श्री प्रवेश वर्मा द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 376च का अंत:स्थापन)

(15) श्री प्रवेश वर्मा द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 243घ का संशोधन)

(16) श्री निशिकांत दुबे द्वारा युवक (विकास और कल्याण) विधेयक, 2016

(17) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 304क का संशोधन आदि)

(18) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा रेल (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 126 का संशोधन)

(19) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 42 का संशोधन)

(20) डा. सत्य पाल सिंह द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 15 का संशोधन आदि)

(21) डा. उदित राज द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुसूची 1 का संशोधन)

(22) डा. उदित राज द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2016

(23) डा. उदित राज द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 338 का संशोधन)

(24) डा. उदित राज द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)

(25) डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 12क और 12ख का संशोधन)

(26) श्री जैदेव गल्ला द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 11 का का संशोधन, आदि)

(27) श्री जैदेव गल्ला द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

(28) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(29) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (पहली अनुसूची का संशोधन)

(30) डा. संजय जायसवाल द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन)

(31) डा. संजय जायसवाल द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (धारा 4 और 6 का संशोधन आदि)

(32) डा. धर्मवीर गांधी द्वारा हिंदु अवयस्कता और संरक्षकता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 6 और 7 का संशोधन)

(33) डा. धर्मवीर गांधी द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

(34) प्रो. (डा.) सुगत बोस द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 32क का अंत:स्थापन)

(35) प्रो. (डा.) सुगत बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

(36) श्रीमती जयश्रीवेन के. पटेल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेदों 243डक और 243 यूए का अंत:स्थापन)

(37) श्रीमती जयश्रीवेन के. पटेल द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय (सिल्चर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(38) डा. धर्मवीर गांधी द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा एक का संशोधन, आदि)

(39) श्री गोपाल चिन्नया शेट्टी द्वारा गौ संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, 2016

(40) श्री गोपाल चिन्नया शेट्टी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)

(41) श्री सदाशिव लोखंडे द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 370 का संशोधन)

(42) श्री सदाशिव लोखंडे संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 44 का लोप आदि)

(43) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा राष्ट्रीय बाढ़ पीड़ित कल्याण बोर्ड विधेयक, 2016

(44) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 370क का संशोधन)

(45) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा केंद्रीय दासत्व रोधी अभिकरण विधेयक, 2016

(46) श्री निशिकांत दुबे द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थाओं में जातीय आधारित भेदभाव का निवारण) विधेयक, 2016

(47) श्री निशिकांत दुबे द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 72 का संशोधन आदि)

(48) श्री निशिकांत दुबे द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 370क का अंत:स्थापन)

(49) डा. शशि थरूर द्वारा विभेद निवारण और समानता विधेयक, 2016

(50) डा. शशि थरूर द्वारा परंपरागत ज्ञान का संरक्षण विधेयक, 2016

(51) श्री राजेंद्र अग्रवाल द्वारा राज्यों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में अभिहित करना विधेयक, 2017

(52) श्री रामचंद्रन मुल्लापल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 304क का संशोधन)

(53) श्री तथागत सत्पथी द्वारा वाक्शक्ति और ख्याति का संरक्षण विधेयक, 2016

(54) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा रक्षा कार्मिक परिवार कल्याण विधेयक, 2016

(55) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा छावनी (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 12 का संशोधन)

(56) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)

(57) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा वृद्धावस्था पेंशन विधेयक, 2016

(58) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा बाल विकास विधेयक, 2016

(59) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2016

(60) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा महिलाओं पर अत्याचार का निवारण विधेयक, 2016

(61) श्री फिरोज वरूण गांधी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन आदि)

(62) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 124 का संशोधन आदि)

(63) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महिलाओं के विरूध अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2016

(64) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 2016

(65) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 292 का संशोधन आदि)

(66) श्रीमती सुप्रिया सुले का उच्च शैक्षणिक संस्थाएं (फीस का विनियमन) विधेयक, 2017

(67) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) विधेयक, 2016

(68) डा. किरिट प्रेमजी भाई सोलंकी द्वारा सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य देखरेख परामर्श सुविधाएं विधेयक, 2016

(69) डा. किरिट प्रेमजी भाई सोलंकी द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल करना विधेयक, 2016

(70) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा गैर-नाभिकीय औद्योगिक दुर्घटना के लिए लोक दायित्व विधेयक, 2016

(71) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा विवाह (अनिवार्य पंजीकरण और अपचयकारक व्यय का निवारण) विधेयक, 2016

(72) प्रो. रिचर्ड हे द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण विधेयक, 2016

(73) श्री राजीव सातव द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 124 का संशोधन आदि)

(74) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा भारतीय वन संशोधन विधेयक, 2016 (नई धारा 35 का अंत:स्थापन, आदि)

(75) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता का अधिकार विधेयक, 2016

(76) श्री राघव लखनपाल द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 5 का संशोधन)

(77) श्री राघव लखनपाल द्वारा कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 4 और 5 का संशोधन)

(78) डा. थोकचोम मेन्या द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियां और करार (महिलाओ का समान प्रतिनिधित्व) विधेयक, 2017

(79) डा. थोकचोम मेन्या द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 197 का संशोधन)

(80) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन)

(81) डा. थोकचोम मेन्या द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) निरसन विधेयक, 2017

(82) श्री ओम बिरला द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 3 का संशोधन)

(83) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 220क का अंत:स्थापन)

(84) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

(85) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)

(86) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुसूचियों का संशोधन)

(87) श्री फिरोज वरूण गांधी श्रमिक नियोजन केंद्रों की स्थापना विधेयक, 2017

(88) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों एवं प्रसंविदाओं का विनियमन विधेयक, 2017

(89) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 253 का संशोधन)

(90) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा प्लास्टिक पुनर्चक्रण विधेयक, 2017

(91) श्री गौरव गोगोई द्वारा वन जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2017 (अध्याय 4घ का अंत:स्थापन)

(92) श्री किरिट प्रेमजी भाई सोलंकी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 3घ का संशोधन)

(93) प्रो. सौगत राय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 8ख का अंत:स्थापन)

(94) श्री ओम बिरला द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 348 का संशोधन)

(95) श्री महेश गिरी द्वारा आतंकी हमला पीड़ितों को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

(96) श्री महेश गिरी द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन आदि)

(97) श्री महेश गिरी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 15 का संशोधन)

(98) श्री महेश गिरी द्वारा सफाई को बनाए रखना विधेयक, 2016

(99) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा घरेलू कर्मकार कल्याण विधेयक, 2016

(100) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक शिक्षा पाठयपुस्तक के रूप में भगवद्गीता का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

(101) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ित व्यक्ति (समान प्रतिकर) विधेयक, 2016

(102) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

(103) श्री शैलेश कुमार (बुलो मंडल) द्वारा पटना उच्च न्यायालय (भागलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(104) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा समुद्रपारीय कर्मकार (प्रबंध और कल्याण) विधेयक, 2016

(105) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा पटना उच्च न्यायालय (महाराजगंज में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(106) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा मृत्युदंड का उत्सादन विधेयक, 2016

(107) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा मेधावी छात्र (उच्चतर अध्ययन में सहायता) विधेयक, 2016

(108) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 30क का अंत:स्थापन)

(109) श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी द्वारा भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 26 का संशोधन आदि)

(110) श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी द्वारा अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 3क का अंत:स्थापन)

(111) श्री नारन भाई काछड़िया द्वारा जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2016

(112) श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया द्वारा बाल पोषण और विकास नोडल एजेंसी विधेयक, 2017

(113) श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया द्वारा कृषक कल्याण निधि विधेयक, 2016

(114) श्रीमती रमा देवी द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2016

(115) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा पर्यटन संवर्धन प्राधिकरण विधेयक, 2016

(116) श्री रबींद्र कुमार जेना द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 57 का संशोधन आदि)

(117) श्री रबींद्र कुमार जेना द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 23 का संशोधन आदि)

(118) श्री रबींद्र कुमार जेना द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 135 का संशोधन)

(119) श्री निनोंग इरिंग द्वारा अरूणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 35 का संशोधन)

(120) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 15 का संशोधन)

(121) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 371-ट का संशोधन)

(122) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 25 का संशोधन)

(123) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा सैन्य सेवाएं (अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कार्मिकों के स्थानांतरण का विनियमन) विधेयक, 2016

(124) श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर द्वारा बाल विकास कार्यक्रम समन्वयन अभिकरण विधेयक, 2016

(125) श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर द्वारा मलिन बस्ती और झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्र (मूलभूत सुविधाएं और निर्वासन) विधेयक, 2016

(126) श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर द्वारा रेल की पटरियों के आस-पास रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण विधेयक, 2016

(127) श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 10क और 10ख का अंत:स्थापन)

(128) श्री राजेश रंजन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2016

(129) श्री राजेश रंजन द्वारा शिक्षा ऋण विधेयक, 2016

(130) श्री राजेश रंजन द्वारा पटसन उत्पादक और कामगार (कल्याण) विधेयक, 2016

(131) श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा हथकरधा बुनकर (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2016

(132) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक, 2016

(133) श्रीमती रमा देवी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सेवा में पदों और शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण विधेयक, 2016

(134) श्रीमती रमा देवी द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति का उपबंध विधेयक, 2016

(135) श्रीमती रमा देवी द्वारा रोगियों पर औषधियों का क्लीनिकल परीक्षण (विनियमन) विधेयक, 2016

(136) श्री ए.टी. नाना पाटील द्वारा बालिका और किशोरियां (कल्याण) विधेयक, 2016

(137) श्री संतोख सिंह चौधरी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)

(138) श्री बिद्युत बरण महतो द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुसूची का संशोधन)

(139) श्री अरविंद सावंत द्वारा राज्यों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में अभिहित करना विधेयक, 2017

(140) श्री निनोंग इरिंग द्वारा शिक्षण संस्थाओं में उत्तर-पूर्व संस्कृति का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2017

(141) डा. किरीट सोमैया द्वारा राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

(142) श्री सुधीर गुप्ता द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 6क से 6घ का अंत:स्थापन)

(143) डा. धर्मवीर गांधी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

(144) श्री निनोंग इरिंग द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान और विकास विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

(145) श्रीमती कविता कलवकुंतला द्वारा हल्दी बोर्ड विधेयक, 2017

(146) श्री ए.टी. नाना पाटील द्वारा विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2017

(147) श्री ए.टी. नाना पाटील द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण विधेयक, 2017

(148) श्री रवनीत सिंह द्वारा पंजाब राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2017

(149) श्री रवनीत सिंह द्वारा पंजाब राज्य (किसानों के कल्याण के लिए) विधेयक, 2017

(150) श्री शिवाजीराव आधलराव पाटील द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को पेंशन का संदाय विधेयक, 2016

(151) श्री शिवाजीराव आधलराव पाटील द्वारा रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 126 और 127 का संशोधन)

(152) श्री एम.के. राघवन द्वारा एयरलाइन्स विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2017

(153) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा बालक संरक्षण विधेयक, 2017

(154) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा पोलीथीन बैग पर पाबंदी विधेयक, 2017

(155) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2017

(156) श्री ए.टी. नाना पाटील द्वारा उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथों के लिए अनिवार्य मूल सुविधाएं विधेयक, 2017

(157) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)

(158) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना विधेयक, 2017

(159) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा जनसंख्या (स्थिरीकरण) विधेयक, 2017

(160) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा एसिड हमले, लैंगिक उत्पीड़न और दुर्व्यापार की शिकार बालिकाएं तथा महिलाएं (प्रतिकर और पुनर्वास) विधेयक, 2017

(161) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधेयक, 2017

(162) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा धर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण का प्रतिषेध विधेयक, 2017

(163) डा. सत्य पाल सिंह द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2017

(164) डा. उदित राज द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उप-योजना (बजटीय आवंटन और विशेष योजनाएं) विधेयक, 2017

(165) श्री पी. करूणाकरन द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 124क का लोप)

(166) श्री पी. करूणाकरन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 5 का संशोधन)

(167) श्री पी. करूणाकरन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)

(168) श्री पी. करूणाकरन द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 63क का अंत:स्थापन)

(169) श्री महेश गिरी द्वारा गर्भाशय कैंसर (जागरूकता और अनिवार्य टीकाकरण) विधेयक, 2016

(170) डा. उदित राज द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 31 का संशोधन)

(171) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (7वीं अनुसूची का संशोधन)

(172) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 12 का संशोधन)

(173) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)

(174) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (7वीं अनुसूची का संशोधन)

(175) श्री महेश गिरी द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 27 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(176) श्री महेश गिरी द्वारा निजी होस्टल और पेइंग गेस्ट आवास केंद्र विनियमन विधेयक, 2017

(177) श्री महेश गिरी द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 326क का संशोधन)

(178) श्री निशिकांत दुबे द्वारा व्यथित विधवाएं एवं एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2017

(179) श्री निशिकांत दुबे द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 19 का लोप)

(180) श्री निशिकांत दुबे द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 14 का संशोधन)

(181) श्री राजीव सातव द्वारा बंबई उच्च न्यायालय (हिंगोली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2017

(182) श्री राजव सातव द्वारा पितृत्व प्रसुविधा विधेयक, 2017

(183) श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा घरेलू कर्मकार (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2017

(184) श्री वैजयंत पांडा द्वारा डाटा (निजता और संरक्षण) विधेयक, 2017

(185) एडवोकेट नरेंद्र केशव सवाईकर द्वारा मछुआरा (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2017

(186) श्री बालका सुमन द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) संशोधन विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

(187) डा. भोला सिंह द्वारा कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2016

(188) डा. भोला सिंह द्वारा प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2016

(189) श्री महेश गिरी द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 272 और 273 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन)

(190) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 39 का संशोधन)

(191) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 और 15 का संशोधन)

(192) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 102 का संशोधन)

(193) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 366 का संशोधन)

(194) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 22 का संशोधन)

(195) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 323ख का संशोधन)

(196) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)

(197) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 46 का संशोधन, आदि)

(198) डा. मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2017

(199) डा. मनोज राजोरिया द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

(200) श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सशस्त्र बल (एक रैंक एक पेंशन) विधेयक, 2017

(201) श्री राघव लखनपाल द्वारा वैज्ञानिक और नवाचार अनुसंधान अकादमी (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 4झ का अंत:स्थापन)

(202) डा. मनोज राजोरिया द्वारा भारतीय जल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, 2017

(203) डा. मनोज राजोरिया द्वारा उच्च् न्यायालय (राजभाषा का प्रयोग) विधेयक, 2017

(204) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा विवाहों में अपव्यय और असीमित व्यय का निवारण विधेयक, 2017

(205) श्री जगदंबिका पाल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 324 का संशोधन)

(206) श्री जगदंबिका पाल द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 125 का संशोधन)

(207) श्री जगदंबिका पाल द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 497 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(208) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा विद्युत (महानगरीय क्षेत्रों को अग्रता प्रदाय) विधेयक, 2017

(209) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

(210) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा ऑटीज्म स्पेक्ट्रम विकार (मान्यता और उपचार) विधेयक, 2017

(211) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा किसानों के परिवार (वित्तीय सहायता और पुनर्वास) विधेयक, 2017

(212) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (चिकित्सीय और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2017

(213) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा स्तन कैंसर (जागरूकता और नि:शुल्क उपचार) विधेयक, 2017

(214) सुश्री सुष्मिता देव द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 32 का संशोधन, आदि)

(215) सुश्री सुष्मिता देव द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अध्याय 2क और 2ख का अंत:स्थापन)

(216) श्री अजय मिश्रा 'टेनी' द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय की अनिवार्य स्थापना विधेयक, 2017

(217) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (विनियमन) विधेयक, 2017

(218) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों (पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) विधेयक, 2017

(219) श्री निशिकांत दुबे द्वारा आर्सेनिक संदूषण (निवारण) विधेयक, 2017

(220) श्री निशिकांत दुबे द्वारा स्वैच्छिक संगठन (विनियमन) विधेयक, 2017

(221) श्री निशिकांत दुबे द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 83 का संशोधन, आदि)

(222) श्री निशिकांत दुबे द्वारा युवक (बेरोजगारी का उन्मूलन और विविध उपबंध) विधेयक, 2017

(223) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा लोक संपत्ति नुकसान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन)

(224) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे द्वारा फसल उत्पाद के संरक्षण का अधिकार विधेयक, 2017

(225) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे द्वारा विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2017

(226) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे द्वारा खिलाड़ी (कल्याण) विधेयक, 2017

(227) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक, 2017

(228) श्री ए.टी. नाना पाटील द्वारा कपास उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2017

(229) श्री ए.टी. नाना पाटील द्वारा केला उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2017

(230) श्री राजीव सातव द्वारा महाराष्ट्र राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2017

(231) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 172 का संशोधन)

(232) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 47क का अंत:स्थापन)

(233) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 48क और 51क का संशोधन)

(234) कुवंर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा वंचित व्यकितयों के लिए अनिवार्य रोजगार और कल्याण उपाय विधेयक, 2017

(235) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2017 (नई धारा 3ग और 3घ का अंत:स्थापन)

(236) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 22 का संशोधन)

(237) श्री बलका सुमन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 22 का संशोधन, आदि)

(238) श्री ओम बिरला द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 28क का अंत:स्थापन)

(239) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुसूची का संशोधन)

(240) श्री ओम बिरला द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 84 का संशोधन)

(241) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा शिक्षा संबंधी विशेष नि:शक्तता से ग्रस्त बालक (पहचान और शिक्षा में सहायता) विधेयक, 2017

(242) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, मंदबुद्धि बालकों और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा विधेयक, 2017

(243) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा यथोचित आवासन का अधिकार विधेयक, 2017

(244) श्री राजीव सातव द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 3क का अंत:स्थापन)

(245) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 17 और 19 का संशोधन)

(246) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा कृषि उपज (लाभाकारी समर्थन मूल्य और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2017

(247) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 1 का संशोधन, आदि)

(248) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 154 का संशोधन)

(249) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा काजू विकास बोर्ड विधेयक, 2017

(250) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा पादप किस्मों और किसान अधिकार का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 39 का संशोधन)

(251) श्री राहुल शेवाले द्वारा मानव दुर्व्यापार (निवारण) विधेयक, 2017

(252) श्री राहुल शेवाले द्वारा मुंबई को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2017

(253) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना विधेयक, 2017

(254) श्री रमेश चंद्र कौशिक द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे माता-मिता की बालिकाओं को वित्तीय सहायता विधेयक, 2017

(255) डा. उदित राज द्वारा विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक, 2017

(256) श्री महेश गिरी द्वारा प्रभावित तीर्थयात्रियों के लिए एक समान बीमा विधेयक, 2017

(257) श्री महेश गिरी द्वारा महिलाओं का अनावश्यक सीजेरियन सेक्शन प्रसव से संरक्षण विधेयक, 2017

(258) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 16क का अंत:स्थापन)

(259) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 10 का संशोधन)

(260) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 31 का संशोधन)

(261) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 3 का संशोधन)

(262) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 10ड. का अंत:स्थापन आदि)

(263) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा कृषि उपज (लाभकारी समर्थन मूल्य और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2017

(264) श्री शिवाजी आधलराव पाटील द्वारा ई-कॉमर्स (विनियमन) विधेयक, 2017

(265) श्री शिवाजी आधलराव पाटील द्वारा कृषि और अन्य असंगठित कर्मकार (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2017

(266) श्री शिवाजी आधलराव पाटील द्वारा आतंकवाद के शिकार व्यक्ति (प्रतिकर एवं प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2017

(267) श्री शिवाजी आधलराव पाटील द्वारा धार्मिक संस्थाओं और उपासना स्थलों का प्रबंध विधेयक, 2017

(268) डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा नियोजन विधेयक, 2017

(269) डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा हिंसात्मक और अशिष्ट ऑनलाइन गेम (वितरण विक्रय और विज्ञापन का प्रतिषेध) विधेयक, 2017

(270) डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा अवैध आप्रवासी (पहचान और निर्वासन) विधेयक, 2017

(271) श्री विनोद कुमार बी. द्वारा कृषिगत आदान अनुदानों का संदाय विधेयक, 2017

(272) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 33क का अंत:स्थापन)

(273) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा छुट्टा गोवंश (संरक्षण और नियंत्रण) बोर्ड विधेयक, 2017

(274) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा बुंदेलखंड रेजीमेंट विधेयक, 2017

(275) श्री धनंजय बी. महाडीक द्वारा विद्यालयों में अनिवार्य खेल शिक्षा और बुनियादी अवसंरचना विकास विधेयक, 2017

(276) श्री राम मोहन किंजरापू द्वारा रेल (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 3 का संशोधन)

(277) डा. उदित राज द्वारा द्वारा मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

(278) डा. उदित राज द्वारा आवासहीनता निराकरण विधेयक, 2017

(279) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (सातवीं अनुसूची का संशोधन, आदि)

(280) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा केंद्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी (अनिवार्य राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया प्रशिक्षण) विधेयक, 2017

(281) श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा जैव अवक्रमणीय सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) विधेयक, 2017

(282) श्री गौरव गोगोई द्वारा समय परिक्षेत्र पुनर्गठन विधेयक, 2017

(283) श्री राघव लखन पाल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 24क का अंत:स्थापन)

(284) श्री गोरव गोगोई द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन)

राज्य सभा

(1) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 109,117,198 और 207 का संशोधन) डा. के.वी.पी. रामचंद्र राव द्वारा पुर:स्थापित।

(2) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 श्री मोहम्मद अली खान द्वारा पुर:स्थापित।

(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 366 का संशोधन) श्री सुखेंदु शेखर राय द्वारा पुर:स्थापित।

(4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुर:स्थापित।

(5) जनसंख्या (स्थिरीकरण) विधेयक, 2017 श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुर:स्थापित।

(6) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 275क और 371ट का अंत:स्थापन) श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुर:स्थापित।

(7) यथोचित आवासन का अधिकार विधेयक, 2016 श्री संजय सेठ द्वारा पुर:स्थापित।

(8) वरिष्ठ नागरिकों, मंदबुद्धि बालकों और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा विधेयक, 2016 श्री राजकुमार धूत द्वारा पुर:स्थापित।

(9) युवक (बेरोजगारी का उन्मूलन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2016 श्री राजकुमार धूत द्वारा पुर:स्थापित।

(10) भारतीय जल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, 2016 श्री राजकुमार धूत द्वारा पुर:स्थापित।

(11) उच्च न्यायालय (राजभाषा का प्रयोग) विधेयक, 2016 श्री भूपेंद्र यादव द्वारा पुर:स्थापित।

(12) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 324 का संशोधन) श्री शांताराम नायक द्वारा पुर:स्थापित।

(13) राष्ट्रीय जलमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2016 श्री शांताराम नायक द्वारा पुर:स्थापित।

(14) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 51क का संशोधन) श्री शांताराम नायक द्वारा पुर:स्थापित।

(15) केंद्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2016 श्री प्रदीप टम्टा द्वारा पुर:स्थापित।

(16) स्वैच्छिक संगठन (विनियमन) विधेयक, 2016 श्री प्रदीप टम्टा द्वारा पुर:स्थापित।

(17) मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2016 श्री प्रदीप टम्टा द्वारा पुर:स्थापित।

(18) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुर:स्थापित।

(19) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुर:स्थापित।

(20) भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, 2016 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुर:स्थापित।

(21) छद्म विज्ञापन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(22) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 डा. टी सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(23) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 121क, 211क का अंत:स्थापन) डा. के.वी.पी. रामचंद्र राव द्वारा पुर:स्थापित।

(24) शिक्षा संबंधी विशेष नि:शक्तता से ग्रस्त बालक (पहचान और शिक्षा में सहायता) विधेयक, 2016 श्रीमती वंदना चव्हाण द्वारा पुर:स्थापित।

(25) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016 डा. कनवर दीप सिंह द्वारा पुर:स्थापित।

(26) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (दसवीं अनुसूची का संशोधन) श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(27) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 51क का संशोधन) श्री प्रभात झा द्वारा पुर:स्थापित।

(28) गौ संरक्षण विधेयक, 2017 डा. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

(29) संसद (उत्पादकता में वृद्धि) विधेयक, 2017 श्री नरेश गुजराल द्वारा पुर:स्थापित।

(30) आर्सेनिक संदूषण (निवारण) विधेयक, 2017 श्री नीरज शेखर द्वारा पुर:स्थापित।

(31) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 83 और 172 का संशोधन) श्री नारायण लाल पंचारिया द्वारा पुर:स्थापित।

(32) घरेलू कर्मकार (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2017 श्री ऑस्कर फर्नांडिस द्वारा पुर:स्थापित।

(33) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 330क, 330ख, 332क और 332ख का अंत:स्थापन) श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(34) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन) श्री के.के. रागेश द्वारा पुर:स्थापित।

(35) निजी वित्तपोषित अवसंरचना परियोजनाएं (प्रापण की स्विस चैलेंज पद्धति का विनियमन) विधेयक, 2017 श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(36) मान और परंपरा के नाम पर अपराधों का निवारण तथा वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2017 श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(37) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जनजातीय बालक और स्तनपान कराने वाली महिलाएं (भूख, कुपोषण मिटाना और भुखमरी का निवारण) विधेयक, 2017 श्री राजकुमार धूत द्वारा पुर:स्थापित।

(38) मराठवाड़ा, विदर्भ, बुंदेलखंड तथा पूर्वी और दक्षिणी भागों में जल की कमी वाले क्षेत्र (जल सघन फसलों की खेती और ताप विद्युत संयंत्रों तथा अन्य वृहत जल सघन उद्योगों की स्थापना का प्रतिषेध) विधेयक, 2017 श्री राजकुमार धूत द्वारा पुर:स्थापित।

(39) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 24क का अंत:स्थापन) श्री राजकुमार घूत द्वारा पुर:स्थापित।

(40) जिम्नेज़ियम और फिटनेस सेंटर्स (विनियमन) विधेयक, 2017 डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(41) अम्ल हमलों का निवारण और अम्ल हमले के पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक, 2017 श्री नारायण लाल पंचारिया द्वारा पुर:स्थापित।

(42) भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक, 2017 श्री नारायण लाल पंचारिया द्वारा पुर:स्थापित।

(43) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन) डा. के.वी.पी. रामचंद्र राव द्वारा पुर:स्थापित।

(44) सशस्त्र बल विशेष शक्तियां (संशोधन) विधेयक, 2017 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुर:स्थापित।

(45) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुर:स्थापित।

(46) गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2017 डा. कनवर दीप सिंह द्वारा पुर:स्थापित।

(47) शैक्षिक नवाचार आयोग विधेयक, 2017 डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे द्वारा पुर:स्थापित।

(48) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन) श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(49) जबरन लापता किए जाने का प्रतिषेध विधेयक, 2017 श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(50) यातना निवारण विधेयक, 2017 श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(51) बाढ़ और सूखा नियंत्रण विधेयक, 2017 डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(52) प्ले स्कूल (विनियमन) विधेयक, 2017 डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पुर:स्थापित।

(53) जमानत विधेयक, 2017 श्री सुखेंदु शेखर राय द्वारा पुर:स्थापित।

(54) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 366 का संशोधन) श्री सुखेंदु शेखर राय द्वारा पुर:स्थापित।

(55) वैदिक शिक्षा (शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2017 श्री नारायण लाल पंचारिया द्वारा पुर:स्थापित।

(56) सौर विद्युत (विकास, संवर्द्धन और अनिवार्य प्रयोग) विधेयक, 2017 श्री नारायण लाल पंचारिया द्वारा पुर:स्थापित।

(57) न्यायिक सांख्यिकी विधेयक, 2017 श्री नारायण लाल पंचारिया द्वारा पुर:स्थापित।

(58) श्रम (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2017 श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुर:स्थापित।

(59) महिला (सशक्तीकरण और कल्याण) विधेयक, 2017 श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुर:स्थापित।

(60) शहरी क्षेत्र (सम्यक विकास और विनियमन) विधेयक, 2017 श्री विवेक गुप्ता द्वारा पुर:स्थापित।

(61) कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके कुटुंबों के अधिकार (विभेद के प्रति संरक्षण और सामाजिक कल्याण की गारंटी) विधेयक, 2017 श्री के.टी.एस. तुलसी द्वारा पुर:स्थापित।

(62) भीड़ की हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2017 श्री के.टी.एस. तुलसी द्वारा पुर:स्थापित।

(63) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 15 का संशोधन) श्री हुसैन दलवई द्वारा पुर:स्थापित।

(64) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 श्री हुसैन दलवई द्वारा पुर:स्थापित।

(65) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 श्री के.के. रागेश द्वारा पुर:स्थापित।

परिशिष्ट-7

(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संगटन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की **न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30** होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय

को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. <u>बैठकें</u>

<u>बैठकों की संख्या</u>

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

<u>दिल्ली से बाहर बैठकें</u>

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

गणपूर्ति (कोरम)

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. <u>सिफारिशें</u>

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. <u>प्रशासनिक मामले</u>

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. <u>उप-समिति</u>

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

<u>परामर्शदात्री समिति पर नामांकन</u>

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

1. .....
2. .....
3. .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

दूरभाष तथा फैक्स नं.

(क) दिल्ली का पता:

(ख) स्थायी पता:

सेवा में

निदेशक,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली।

परिशिष्ट-8

(देखें पैरा 8.4)

16वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

क्रम सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3	नागर विमानन मंत्रालय
4	कोयला मंत्रालय
5	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6	संचार मंत्रालय
7	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
8	रक्षा मंत्रालय
9	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
10	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
11	विदेश मंत्रालय
12	वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
13	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
15	गृह मंत्रालय
16	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
17	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
18	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
19	श्रम और रोजगार मंत्रालय
20	विधि और न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
21	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
22	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
23	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
24	रेल मंत्रालय
25	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय
26	ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय तथा खान मंत्रालय
27	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
28	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

29	इस्पात मंत्रालय
30	वस्त्र मंत्रालय
31	पर्यटन मंत्रालय
32	जनजातीय कार्य मंत्रालय
33	जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
34	महिला और बाल विकास मंत्रालय
35	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

<u>परिशिष्ट-9</u>

<u>(देखें पैरा 8.5)</u>

परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	06
बैठकों की तारीखें	13.01.2017, 23.03.2017, 03.07.2017 (श्रीनगर), 27.07.2017, 02.11.2017, 28.12.2017
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय डेयरी योजना - फेस - 1 का कार्यान्वयन; बागवानी विकास और कोल्ड चेन; कृषि मशीनीकरण; मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड; किसानों की आय दुगना करना; डेयरी विकास
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	01.03.2017, 17.05.2017
चर्चा किए गए विषय	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी); एनबीएस और इसके प्रभाव
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	23.01.2017 (तिरूपति), 27.07.2017
चर्चा किए गए विषय	भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की क्षमता में अतिरिक्त योजनाएं; नागर विमानन सुरक्षा (बीसीएएस द्वारा उठाए गए कदमों सहित)
कोयला मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	09.02.2017, 20.06.2017, 27.10.2017
चर्चा किए गए विषय	(i) कोयला सुरक्षा (ii) अन्वेषण व्यवस्था में पहल; (i) वहनीय रेत खनन (ii) खानों की अधोगति तथा तीसरा पक्ष नमूने सहित कोयले की गुणवता; - ऊर्जा और गैर-ऊर्जा दोनों की नीलामी
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	05.01.2017, 30.03.2017, 29.12.2017
चर्चा किए गए विषय	भारत में वृक्षारोपण क्षेत्र के समर्थन में कोमोडिटी बोर्ड के प्रदर्शन; औद्योगिक पार्कों/समूहों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार करना; भारत के निर्यात के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र

संचार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	18.05.2017, 16.12.2017
चर्चा किए गए विषय	मोबाइल टावरों से विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र विकिरण के बारे में जागरूकता; डिजिटल भुगतानों को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	16.03.2017, 10.08.2017
चर्चा किए गए विषय	(i) नकद रहित व्यवस्था - टीपीडीएस में सुधार और (ii) लीगल मेट्रोलोजी
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	23.3.2017, 01.05.2017, 27.10.2017
चर्चा किए गए विषय	प्रादेशिक सेना; डीआरडीओ के कार्यक्रम; भारतीय वायु सेना
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	16.03.2017, 08.06.2017
चर्चा किए गए विषय	स्वच्छता और उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंत्रालय की समन्वय भूमिका; (i) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एस और टी हस्तक्षेप; (ii) एनएलसीपीआर योजना की वर्तमान स्थिति और एनईसी की योजनाएं
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	12.04.2017, 04.08.2017, 21.12.2017
चर्चा किए गए विषय	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; राष्ट्रीय नदी संरक्षण; भारत में वन्य जीवन
विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	23.03.2017, 27.07.2017, 21.12.2017
चर्चा किए गए विषय	पासपोर्ट नियमों और नीतियों का सरलीकरण और पासपोर्ट संबंधित सेवाओं को वितरित करने के लिए डाकघरों का उपयोग; प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल की हालिया यात्राएं; पड़ोसी के साथ संबंध

वित्त मंत्रालय और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	15.03.2017, 29.09.2017, 27.12.2017
चर्चा किए गए विषय	एनपीए; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की पहल; बजट पूर्व सुझाव
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	28.07.2017
चर्चा किए गए विषय	किसान संपदा योजना
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	12.04.2017, 11.07.2017, 14.10.2017 (गोवा), 28.12.2017
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम; राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धियां/गतिविधियां; प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों का उन्नयन; दृष्टीहीनता की रोकधाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
04.07.2016	15.06.2017, 29.08.2017
चर्चा किए गए विषय	21वीं सदी के लिए गृह मंत्रालय का पुनर्गठन; एलडब्ल्यूई संबंधी मामले
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	11.04.2017, 04.08.2017, 21.12.2017
चर्चा किए गए विषय	दूरस्थ शिक्षा और स्वयं सहित मुक्त शिक्षा; (i) स्कूल शिक्षा का नवाचार; (ii) सीबीएसई की समीक्षा (राष्ट्रीय परीक्षा सेवा सहित) और (iii) आरएमएसए/स्कूल शिक्षा का व्यावसायीकरण, विद्यालय और उच्च् शिक्षा
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	29.03.2017, 14.0.2017 (गोवा)
चर्चा किए गए विषय	भारत में सामुदायिक रेडियो का विकास; "प्रिंट मीडिया - इसकी विषय-वस्तु और कामकाज"
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	22.03.2017, 27.10.2017 (वाराणसी)
चर्चा किए गए विषय	बाल श्रम पर (बाल श्रम अधिनियम में संशोधन और आईओएल परिपाटियों सं.138 और 182 के अनुसमर्थन सहित); रोजगार

विधि और न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	30.03.2017, 22.05.2017, 16.11.2017
चर्चा किए गए विषय	(i) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा और (ii) (राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति के स्थान पर) भारत में मध्यस्थता का संस्थाकरण; सामान्य सेवा केन्द्रों की भूमिका (सीएससी); शीघ्र और सस्ता न्याय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	19.01.2017, 29.06.2017
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का कार्यचालन; अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में एमएसडीपी केंद्रित बुनियादी ढांचे का विकास
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	30.01.2017, 21.04.2017 (श्रीनगर), 09.08.2017
चर्चा किए गए विषय	संरक्षण और ईंधन कार्यक्षमता; भुगतान का डिजिटल मोड - नकद रहित लेनदेन को बढ़ावा देना; जैव ईंधन
विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	07.02.2017, 20.06.2017, 04.08.2017, 31.12.2017 (गुवाहाटी)
चर्चा किए गए विषय	(i) छोटी हाइड्रो परियोजनाएं (ii) एनएचपीसी; (i) ऊर्जा क्षमता (ii) राज्य सरकारों द्वारा आरपीओ के कार्यान्वयन की स्थिति; पीजीसीआईएल और पवन ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन; एनएचपीसी
रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	20.01.2017 (दार्जिलिंग), 12.04.2017, 15.12.2017
चर्चा किए गए विषय	भारतीय रेलवे की संकेतन प्रणाणी का आधुनिकीकरण; रेल प्राप्तियां और भुगतानों का डिजिटलीकरण; भारतीय रेलवे पर खानपान सेवाएं
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	22.12.2017
चर्चा किए गए विषय	सागरमाला - अब तक की प्रगति
ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय तथा खान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	30-31.10.2017 (बैंगलूरू)
चर्चा किए गए विषय	पीएमएवाई (जी), पीआरआई का सशक्तितकरण

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	06.04.2017, 03.08.2017, 27.12.2017
चर्चा किए गए विषय	उद्यमिता और स्व रोजगार; आईटीआई/स्व-ग्रेडिंग के संबंध में प्रयास और नए मानदंड; पीएमकेके/पीएमकेवीवाई
सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	11.01.2017, 27.03.2017, 11.10.2017 28.12.2017
चर्चा किए गए विषय	पीडब्ल्युडी के लिए सुलभ भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान) के लिए सार्वभौमिक पहुंच बनाने (i) एससीएसपी का कार्यन्वयन (ii) राष्ट्रीय वयोश्री योजना; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/वृद्ध व्यक्तियों/मादक पदार्थ से व्यसन मुक्ति के कल्याण के लिए कार्य करने वाले एनजीओ को अनुदान; "(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त और विकास कारपोरेशन (एनएसएफडीसी), (ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास कारपोरेशन (एनबीसीएफडीसी) और (iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास कारपोरेशन (एनएसकेएफडीसी)"
इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	16.01.2017, 10.06.2017 (धर्मशाला), 21.09.2017
चर्चा किए गए विषय	(I) स्टील की मांग और उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रयास और (ii) पीएसयू द्वारा परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति; (i) राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 सुरक्षा के महत्व वाले क्षेत्र - कच्चे माल की सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन, इस्पात की खपत को बढ़ाने और मूल्यवर्धित स्टील के उत्पादन के लिए शोध और विकास पर ध्यान केंद्रित करना और (ii) राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छ:माही और वार्षिक रोड मैप/एक्शन प्लान; "(i) मेकॉन लिमिटेड की गतिविधि का अवलोकन और (ii) भारत में अनुसंधान और क्षमता को बढ़ाने में एसआरटीएमआई की भूमिका
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	24.01.2017, 28.04.2017 (कोयंबटूर)
चर्चा किए गए विषय	तकनीकी वस्त्र; पावरलूम क्षेत्र का विकास और आधुनिकीकरण
पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	10.07.2017 (कोलकाता), 28.12.2017
चर्चा किए गए विषय	(i) संग्रहालय और (ii) पर्यटन संवधन का अवलोकन; "बौद्ध परिपथ" और "एकीकृत विपणन और सार्वजनिक संबंध सहित प्रचार"

जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	20.06.2017
चर्चा किए गए विषय	आदिवासी कला और संस्कृति का प्रचार
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	28.12.2017
चर्चा किए गए विषय	स्मार्ट शहर और शहरी परिवहन
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	01.03.2017, 12.09.2017
चर्चा किए गए विषय	सिंचाई दक्षता - 99 प्राथमिकता परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास के लिए वर्तमान प्रस्ताव और पहले से ही पूरी हो चुकी परियोजना में कमान क्षेत्र विकास के लिए प्रस्तावित नई परियोजना; बाढ़ प्रबंधन
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	29.03.2017, 18.07.2017, 21.12.2017
चर्चा किए गए विषय	महिला के खिलाफ क्रूरता; बाल सुरक्षा; राष्ट्रीय पोषण मिशन
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	08.09.2017
चर्चा किए गए विषय	खेलो इंडिया कार्यक्रम के साथ एक प्रमुख एजेंडे के रूप में (i) खेल का व्यापक आधार, (ii) खेलों में उत्कृष्टता और विभिन्न पहल

अनुबंध-10

(देखें पैरा 11.8)

1 से 14 सितंबर, 2017 के दौरान मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण

क्र.सं.	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता		पुरस्कार
1	हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	1	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3	श्री यशपाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		4	श्री परेश गोयल, सलाहकार/सहायक	तृतीय
2.	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	1	श्री प्रविंद्र खत्री, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	प्रथम
		2	श्री मृत्युन्जय सिंह, आशुलिपिक ग्रेड-घ	द्वितीय
		3	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
3.	गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्री संजित कुमार दास, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री वासुदेव गोस्वामी, सलाहकार/सहायक	द्वितीय
		3	श्री ए.एन. बालचंद्रन नायर, सलाहकार/सहायक	द्वितीय
4.	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	1	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	कु. प्रियंका बर्थवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3	मो. अस्दुल्लाह, संसद सहायक	तृतीय
		4	श्री रंजीत सिंह, स्टाफ कार चालक	तृतीय
5.	सामान्य अनुवाद प्रतियोगिता	1	श्री विरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ अनुवादक	प्रथम
		2	श्री जागवेन्द्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय

6.	हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री परेश गोयल, सलाहकार/सहायक	द्वितीय
		3	श्री जागवेन्द्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		4	श्री नवनीत भारती, संसद सहायक	तृतीय
7.	हिन्दी श्रुतलेखन प्रतियोगिता	1	श्री आनंद कुमार, एम.टी.एस.	प्रथम
		2	श्री गजराज सिंह, एम.टी.एस	द्वितीय
		3	श्री कमल किशोर, एम.टी.एस.	द्वितीय
		4	श्री विपिन कटारिया, सवार हरकारा	तृतीय

मंत्रालय में मूल टिप्पण और आलेखन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016-2017 के लिए नकद पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेता

क्र.सं.	**पुरस्कार विजेता**	**पुरस्कार**
1.	श्री प्रद्योत बेपारी, अनुभाग अधिकारी	प्रथम
2.	श्री परेश गोयल, सलाहकार/सहायक	प्रथम
3.	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
4.	श्री साधु राम, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	द्वितीय
5.	श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	द्वितीय
6.	श्री बैजनाथ, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
7.	श्री जय नारायण, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय

परिशिष्ट-11

(देखें पैरा 12.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	केंद्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्रालय)	---	श्री ला गणेसन	12.01.2017
2.	केंद्रीय सलाहकार समिति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	डा. मनोज राजोरिया	श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर	24.01.2017
3.	भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)	श्री भोला सिंह	श्री महेश पोद्दार	31.03.2017
4.	राष्ट्रीय पुरस्कार चयन समिति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	श्री विनोद चावडा	श्री राम कुमार वर्मा	31.03.2017
5.	राष्ट्रीय वनजीवन बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)	डा. ज्योति धुवे श्री दुष्यंत सिंह	श्री राम विचार नेताम	26.04.2017
6.	केंद्रीय विद्यालय संगठन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	प्रो. चिंतामणि मालवीय	प्रो. रिचर्ड हे श्री नारायण लाल पंचारिया	17.05.2017
7.	हरियाणा राज्य के लिए भारतीय खाद्य निगम की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति (भारतीय खाद्य निगम)	श्री रमेश कौशिक	---	14.06.2017
8.	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (सीडीटीएसी) (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग मंत्रालय)	श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी	---	24.10.2017

9.	नेहरू युवा केंद्र संगठन (युवा कार्य और खेल मंत्रालय)	श्री नलिन कुमार कतील श्री प्रवेश साहिब सिंह	श्रीमती रूपा गांगुली	24.10.2017
10.	उत्तराखंड जम्मू और कश्मीर गुजरात कर्नाटक मणिपुर तेलंगाना राज्यों के लिए भारतीय खाद्य निगम की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति (भारतीय खाद्य निगम)	डा. रमेश पोखरियाल निशंक श्री जुगल किशोर शर्मा	 श्री चुन्नीभाई कांजीभाई गोहल डा. प्रभाकर कोरे श्री भाबनंदा सिंह श्री गरिकपति मोहन राव	06.12.2017
11.	राष्ट्रीय रेल परामर्शदात्री परिषद (एनआरयूसीसी) (रेल मंत्रालय)	डा. महेंद्र नाथ पाण्डेय श्री सुशील कुमार सिंह श्री आलोक संजर श्रीमती रंजनाबेन धनंजय भट्ट श्री पी.सी. मोहन श्री रतन लाल कटारिया डा. पोन्नुसामी वेणुगोपाल श्री राजीव शंकरराव सातव श्री श्रीनिवास केसिनेनी श्री बालभद्र माझी	श्री आर.के. सिन्हा श्री रामकुमार वर्मा सरदार बलविंदर सिंह भुंडर श्री रीताब्रता बेनर्जी श्रीमती कहकशां परवीन	09.12.2017

<u>परिशिष्ट-12</u>

<u>(देखें पैरा 12.2)</u>

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों (एच.एस.एस.) पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	---	श्री राम कुमार वर्मा	31.01.2017
2.	पोत परिवहन मंत्रालय	---	श्री विकास महातमे श्रीमती विप्लव ठाकुर	03.03.2017
3.	गृह मंत्रालय	---	श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर	08.03.2017
4.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	---	श्री ओम प्रकाश माथुर	29.03.2017
5.	अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय	---	श्री संभाजी छत्रपति	24.10.2017
6.	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	---	श्री संभाजी छत्रपति	02.11.2017
7.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)	श्री टी.जी. वैंकटेश बाबू	---	06.11.2017
8.	रक्षा, रक्षा अनुसंधान और विकास तथा पूर्व सैनिक कल्याण विभाग	श्रीमती अंजू बाला	श्री सुरेश गोपी श्री संभाजी छत्रपति	12.12.2017

परिशिष्ट-13

(देखें पैरा 12.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये 50,000/- प्रतिमाह दिनांक 18.5.2009 से
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 1.10.2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हो) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01.01.2010 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 15,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 30,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा।
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक काल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा जब तक कि वे अपना पद नहीं छोड़ देते हैं। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के उपयोग करने के लिए किसी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों के लगाने और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

		सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक टेलीफोन पर ब्राडबैंड सुविधा भी इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जाती है कि किराया रू.1500/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (जिनमें होस्टल आवास शामिल है)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। बिना किराए के फर्नीचर रूपये 60,000/- की आर्थिक सीमा तक स्थायी फर्नीचर और रूपये 15,000/- तक गैर-स्थायी फर्नीचर और मूल्यह्रास पर आधारित फर्नीचर की अतिरिक्त मदों के लिए किराया। प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति। अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा।

		यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 1.10.2010 से रूपये 4,00,000/- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू दर के ब्याज पर। इस धनराशि को 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अन्दर वापिस लिया जाएगा। यह अवधि संसद सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।
9.	पूर्व सांसदों को पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
10.	संसद सदस्य का उसके कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उसकी पत्नी/पति/आश्रित को पेंशन।	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50% के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) अथवा आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
11.	यात्रा भत्ता	**<u>रेल</u>:** एक प्रथम श्रेणी + एक द्वितीय श्रेणी का भाड़ा **<u>वायुयान</u>**: किसी भी एयरलाइन्स में एक और एक चौथाई वायुयान भाड़ा। नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **<u>स्टीमर</u>** : उच्चतम श्रेणी का एक और 3/5 भाड़ा (भोजन शामिल नहीं है)

		<u>सड़क</u> : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) सड़क द्वारा यात्रा भत्ता जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।
12.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष

		की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
13	पूर्व संसद सदस्यों को यात्रा सुविधा	(1) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (2) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (3) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
14.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।
15.	पूर्व संसद सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
16.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच

		प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।
17.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा कर सकती/सकते हैं, और जब संसद सत्र चल रहा हो, तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति दी गई कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होंगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि सदस्य की पत्नी/पति ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय करती/करता है तो रूपये 16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी गई है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ा, जो भी कम हो, का हकदार होगा/होगी।
18.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट-14

(देखें पैरा 12.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता, बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी प्रकार की अधिकतम सीमा के बिना कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्ष्द्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा

4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।